रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17—मई 23, 2014 (वैसाख 27, 1936)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17—MAY 23, 2014 (VAISAKHA 27, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	861
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	403
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	653
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	517
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	2771
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	463
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	861
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	403
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	653
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	517
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2771
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	463
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I – खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

———

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 2014

राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए)

सं. 8-3/ एमवाईएएस/पायका/2012--

1	अध्याय	परिचय

1.1 परिचय

1.1 खेल और शारीरिक शिक्षा युवाओं के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारी जनसंख्या का केवल लगभग 70 प्रतिशत का ही हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 में आधारभूत स्तर पर खेल गतिविधियों के माध्यम से **'खेलों को व्यापक आधार प्रदान करने'** और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर **'खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन करने पर'** विशेष बल दिया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि खेलों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जाए ताकि यह सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं में व्याप्त हो जाए और युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक, सकारात्मक और सशक्त बनाए।

1.2 खेल गतिविधियों को आधारभूत स्तर तक ले जाने में एक मुख्य बाधा देश में आधारभूत खेल अवस्थापना/सुविधाओं की सीमित उपलब्धता है। इसके अलावा विद्यमान आधार काफी एक-तरफा है क्योंकि यह मोटे तौर पर शहरी क्षेत्रों में संकेन्द्रित है जिसमें जनसंख्या का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नहीं रहता। शेष 75 प्रतिशत जनसंख्या जो मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, प्रारंभिक खेल सुविधाओं से भी वंचित है। यह अंतर शहरी-ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है जिसका कारण प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कुछेक चुने हुए शहरों में होने के कारण उनमें खेल

अवस्थापना का बड़े पैमाने पर विस्तार होना है। इसी प्रकार खेलों के संवर्धन में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी काफी सीमित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ अनुमानों के अनुसार स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में 30 मिलियन छात्रों से अधिक को खेल-कूद सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। शायद अन्य 20 मिलियन युवाओं को ऐसे अवसर युवा क्लबों, खेल क्लबों आदि के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। केवल इससे ही यह पता चल जाता है कि खेलों को अभी उस औपचारिक शिक्षा प्रणाली का अंग बनाना है जो अभी मुख्यत: अकादमिक केन्द्रित है। 700 मिलियन युवा (जिसमें 13 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे शामिल हैं) को बहुत कम खेल सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनमें लगभग 550 मिलियन ग्रामीण युवा (जिसमें 13 वर्ष से कम आयु वाले ऐसे बच्चे भी) शामिल है जो खेल सुविधाओं में शहरी बच्चों से भी अधिक वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास पर पर्याप्त बल दिए बिना खेलों का वैश्वीकरण नहीं किया जा सकता।

1.3 राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) का उद्देश्य पंचायत स्तर पर आधाररभूत खेल अवस्थापना तथा उपकरण उपलब्ध कराकर तथा ब्लाक और जिला स्तरों पर वार्षिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहित करके उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करना है। (आरजीकेए) आधारभूत स्तर पर खेलों का संवर्धन करने में राज्यों की मदद करेगा जो वह गंभीर वित्तीय कमी के कारण, अपने स्वयं के संसाधनों से, करने में सक्षम नहीं हो सकते। इससे खेल प्रतिभा का मूलाधार गहन और व्यापक भी होगा जिससे आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा।

2. अध्याय राजीव गांधी खेल अभियान

2.1 आरजीकेए: राजीव गांधी खेल अभियान "राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए)" विद्यमान स्कीम के अनुसार खेल सुविधाओं के विकास, इसकी पहचान तथा देश में खेल-प्रतिभा को प्रशिक्षण देकर बढ़ावा देना और साथ ही ग्राम पंचायतों और ब्लाक पंचायतों में खेल सुविधाओं के सर्जन हेतु मुख्य कार्यनीति द्वारा एक आवश्यक तथा मजबूत नींव तैयार करना है। देश में खेल इकोसिस्टम सर्जित करने के लिए आरजीकेए एक पक्की इमारत तथा आधारशिला होगी। यह खेलों द्वारा जीवन को आगे बढ़ाने तथा देश को गरिमा प्रदान करने तथा वर्ष 2020 तक देश को विश्व के पहले दस राष्ट्रों में खेल-कूद प्रदान राष्ट्र बनाने में सहायक होगी। **आरजीकेए स्कीम 01 अप्रैल 2014 से कार्यान्वित होगी।** अब से आरजीकेए पायका का स्थान लेगी।

2.2 मिशन विवरण: ग्रामीण युवाओं के बीच खेल-कूद को प्रोत्साहित करना एवं बढ़ावा देना, पंचायत स्तर पर खेल-मैदानों के रुप में उन्हें अपेक्षित बुनियादी खेल अवसंरचना उपलब्ध कराना तथा ब्लाक स्तर पर उपयुक्त किस्म के खेल-उपस्कर समेत उन्नत खेल-अवसंरचना सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। उन्हें ब्लाक, जिला, राज्य और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल-प्रतियोगिताओं में भागीदारी

का अवसर प्रदान करना हे विशेषकर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों) तथा 9 राज्यों के वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 88 जिलों में।

2.3 मिशन के लक्ष्य:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को सर्वसुलभ बनाना तथा लड़के एवं लड़कियों के बीच खेल संस्कृति को बढ़ावा देना।

(ii) भलीभांति तैयार किए गए स्पर्धा ढ़ांचे के द्वारा ग्रामीण युवाओं में उपलब्ध तथा खेलों की क्षमता को पहचानना।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा की पहचान करने व पुष्ट करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना।

(iv) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वर्तमान योजनाओं के तहत इस प्रक्रिया से उत्पन्न उदीयमान खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण व प्रदर्शन के लिए केन्द्रित प्रयास करना।

(v) देशी पारंपरिक तथा आधुनिक दोनों खेलों का संवर्धन; और

(vi) उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों की संख्या में प्रतिपादक विकास को सुविधाजनक बनाने के उदेश्य की पूर्ति के लिए पंचायती स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक के द्वारा प्रतिस्पर्धा के ढ़ांचे के मध्य अटूट एकीकरण सृजित करना।

2.4 मिशन की नीतियाँ:

(i) **एकीकृत अप्रोच:** ग्राम पंचायत स्तर तथा ब्लाक स्तर पर खेल सुविधाओं के सर्जन हेतु एक एकीकृत अप्रोच साथ ही ब्लाक स्तर पर उचित किस्म के खेल उपस्करों को भारत सरकार की विभिन्न विभागों/मंत्रालयों की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत संसाधनों के अभिसरण द्वारा ब्लाक स्तर पर चयन, प्रशिक्षण एवं खेल कोचों/प्रशिक्षकों का ब्लाक स्तर खेल परिसर पर परिनियोजन करना। ब्लाक स्तर खेल परिसरों का प्रचालन तथा रख-रखाव को स्थानीय ब्लाक पंचायतों को प्रयोक्ता प्रभार के रुप मे नाममात्र राशि का चंदा लगाकर सौंपना। ब्लाक, जिला, राज्य, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित खेल विधाओं में खेल-प्रतियोगिताएं आयोजित करना, पहले से ही विद्यमान ग्रामीण प्रतियोगिताओं, महिला प्रतियोगिताओं तथा उत्तर-पूर्वी खेलों के अतिरिक्त वामपंथ उग्रवाद द्वारा प्रभावित 9 राज्यों जैसे जम्मू और काश्मीर में भी विशेषकर 88 संख्या के प्रभावित जिलों में, खेल प्रतियोगिताएं आरम्भ करना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन उपलब्ध कराना तथा आरजीकेए के उचित कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक तथा स्वंतत्र कार्यान्वयन एजेन्सी नियुक्त करना है।

(ii) **मोडयूलर अप्रोच:** मौजूदा सुविधाएं, यदि कोई हो, स्थानीय प्रतिभाओं, स्वदेशी खेलों सहित लोकप्रिय खेलों, स्थानीय बाधाओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए परियोजना तैयार करने में पर्याप्त कार्यात्मक लचीलापन के साथ साक्षेप योजना पर आधारित मोडयूलर दृष्टिकोण का होना।

(iii) **राज्यों तथा संघ राज्यों द्वारा कार्यान्वयन करना:** ब्लाक स्तर पर पूंजीगत परिसंपत्ति के सर्जन हेतु एक-बार सहायता देने तथा सीमित अवधि आवर्ती अनुदान, केन्द्रीय सहायता अनुदान के रुप में दिया जाता है।

(iv) **कंवर्जेन्स अप्रोच:** यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस); पंचायती राज्य मंत्रालय (एमओपीआर); योजना आयोग (पीसी); ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी); पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्रालय (एमओडीओएनईआर); नई और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय (एमओएनआरई) तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) शामिल हैं के बीच संसाधन जुटाने संबंधी कंजर्वेन्स अप्रोच हो। ऐसे ही कंवर्जेन्स अप्रोच को भी राज्य तथा स्थानीय विकास स्तर पर बढ़ावा देना और प्रोत्सहित करना है। कार्यक्रम के पूर्ण स्वामित्व हेतु मैदान स्तर की कंवर्जेन्स को सभी स्टेक हाल्डर्स के बीच विशेषकर ग्राम स्तर पर स्थनीय अथवा ब्लाक स्तर, स्थानीय युवा क्लब (जो एनवाईकेएस के पास पंजीकृत है), स्थानीय खेल क्लब, स्थानीय विद्यालय/विश्वविद्यालय, एसएचजी आदि का स्पष्ट रुप से वर्णन प्रस्तुत किया जाए।

(v) **विद्यमान अवसंरचना पर निर्माण:** आरजीकेए स्कूलों/कालेजों में, जहां पर भी उपलब्ध है, विद्यमान खेल अवंसरचना का उपयोग करेगा और उनका निर्माण करेगा और उसको आगे मजबूत कर, इसे सामुदायिक खेलों के साथ जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं पहले पायका के अंतर्गत अवसंरचना का सर्जन हो चुका है, आरजीकेए इन सुविधाओं का उपयोग कर इन्हें उन्नत बनाने का प्रयास करेगा।

(vi) **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय:** भाखेप्रा, राज्य सरकारों; और खेल संवर्धन संगठनों जैसे राज्य खेल संघों/परिषदों, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य लोक एवं निजी खेल संवर्धन निकायों द्वारा चलाई गई विभिन्न खेल स्कीमों के जरिए प्रतियोगिता ढ़ांचा, प्रबंधन ढ़ांचा, प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण ढ़ांचा, अवसंरचना और पुरस्कार ढ़ांचा का सर्जन करना है।

(vii) **मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण:** ग्राम पंचायत स्तर तथा ब्लाक स्तर पर खेल-सुविधाओं के सर्जन हेतु परिशोधित स्कीम में नियत निर्णायक भूमिका को ध्यान में रखते हुए तथा जिला, राज्य, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के माध्यम से ब्लाक स्तर पर विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं ग्रामीण, महिला, उत्तर-पूर्वी खेलों तथा विशेष क्षेत्र के खेलों के तहत खेलों की प्रतिभा पहचानने के लिए, यह आवश्यक है कि स्कीम के कार्यान्वयन और प्रगति का ध्यानपूर्वक मॉनीटर तथा पर्यवेक्षण

किया जाए। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि स्कीम के ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण तथा मॉनीटरिंग के लिए किसी स्वतंत्र मानीटरिंग एजेन्सी को काम में लगाया जाए।

2.5 मिशन अभियान: एमवाईएएस, एनवाईकेएस, एसएआई तथा राज्य सरकार के तंत्र में स्पोर्टस ब्यूरो (मिशन निदेशालय) के माध्यम से मिशन अभियान के समग्र अभियान को आयोजित किया जाएगा। लक्षित समूहों जिनमें स्पोर्टस क्लब, यूथ क्लब, स्व-सहायता समूह, खेल-गतिविधियों में संलग्न गैर-सरकारी संगठन शामिल है, में आरजीकेए के बारे में सूचना प्रसारित करना तथा उत्साह-सर्जन करना; मिशन का मुख्य उद्देश्य है। मीडिया, प्रकाशन, सेमिनार, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से अभियान शुरु करने के लिए उपयुक्त वित्तपोषण की व्यवस्था की जाएगी।

2.6 मिशन कवरेज तथा अवधि: यह कार्यक्रम देश की सभी ग्रामों की ग्राम पंचायतों (लगभग 8-10 ग्रामों/ग्राम पंचायतों) तथा ब्लाक पंचायतों/समकक्ष यूनिटों को कवर करने का लक्ष्य रखता है। वर्तमान में देश में 634 ग्रामीण जिले, 6545 ब्लाक पंचायतें तथा लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं।

2.7 मिशन पर परिव्यय: 11वीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया मिशन का परिव्यय 1500 करोड़ रुपये था। तथापि, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए वास्तविक आवंटन 742.20 करोड़ रुपये था। यद्यापि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निधि की मांग 3772 करोड़ रुपये बिना किसी मुद्रास्फीति अनुक्रमण के प्रक्षेपित की गई है, वास्तविक आवंटन केवल 1200 करोड़ रुपये है। आरजीकेए के अंतर्गत 6545 ब्लाकों तथा 634 ग्रामीण जिलों को कवर करने के लिए लगभग 4513 करोड़ रुपये निधि की आवश्यकता है तथा अन्य स्कीमों अर्थात मनरेगा, एनएलसीपीआर-सेन्ट्रल बीआरजीएफ तथा वामंपथ उग्रवाद प्रभावित जिलों हेतु लगभग 8300/- करोड़ रुपये अभिसरण द्वारा प्राप्त होना हैं।

2.8 मिशन संरचना

राष्ट्रीय स्तर मिशन संरचना में सामान्य परिषद, कार्यपालक समिति तथा मिशन निदेशालय शामिल है। स्कीम के कार्यान्वयन/मॉनीटर करने के लिए खेल विभाग अथवा खेल प्राधिकरण/परिषद में राज्य/संघ राज्य स्तर पर आरजीकेए प्रकोष्ठ है। आरजीकेए स्कीम के प्रशासन हेतु जिला और ब्लाक स्तर कार्यपालक समिति के अतिरिक्त एक राज्य स्तर कार्यपालक समिति (एसएलईसी) है। राष्ट्रीय/राज्य और जिला स्तर पर पायका की संरचना निम्न रुप से है।

2.8.1 सामान्य परिषद:

1	**युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री**	**अध्यक्ष**
2	सचिव, खेल, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य
3	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सचिव योजना आयोग, सचिव पंचायती राज, सचिव पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, सचिव नई और नवीकरण ऊर्जा और सांख्यकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वन (एसपीआई)	सदस्य
4	सलाहकार, योजना आयोग	सदस्य
5	पांच चयनित पंचायत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव	सदस्य
6	महा-निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य
7	महा-निदेशक, नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)	सदस्य
8	संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम)	सदस्य
9	वित्तीय सलाहकार (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)	सदस्य
10	राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों से तीन प्रतिनिधि	सदस्य
11	संयुक्त सचिव (खेल विभाग) तथा मिशन निदेशक, आरजीकेए	सदस्य सचिव

सामान्य परिषद भूमिका और जिम्मेवारियाँ:- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली की सामान्य परिषद (जीसी), मिशन के लिए सबसे उच्चतम नीति निर्माण निकाय है। नीति संबंधी दिशा निर्देश तथा मिशन को दिए जाने वाले निदेशन समेत, दिये जाने सम्पूर्ण दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त, सामान्य परिषद मिशन के निष्पादन की भी पूरी तरह समीक्षा करेगी। जीसी को यह भी अधिकार होगा कि वे मिशन कार्मिकों के अमले का निर्धारण कर उन्हें अपना अनुमोदन दे तथा उनके अनुबंध निबंधन और शर्तों को सुनिशिचत करे। आरजीकेए(टीएससीबीएस) निर्धारित निधि का प्रबंधन करें, व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर मिशन निदेशालय में भर्ती होने की अनुमति दें, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विशेषज्ञ/परामर्शताओं के निबंधन और शर्तो का निर्धारण कर उन्हें अनुमोदन दे, मिशन निदेशालय के लिए ऊपरी खर्चो का अनुमोदन दें तथा इसे निधि के इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से राज्यों के अंदर संसाधनों और घटकों को पुन:आबंटित करने का अधिकार दिया गया है। यह प्रतियोगिता अनुदान संबंधी कुछ घटक जैसे (बस/रेल का किराया) यात्रा भत्ता है जिनमें स्पष्ट कारणों हेतु आवधिक परिशोधन की आवश्यकता है। सामान्य परिषद को प्रतियोगिता अनुदान के विभिन्न घटकों की वित्तीय सीमा समेत सभी नीति संबंधी मामलों तथा प्रशासनिक मामलों में समस्त बजटीय सीमा को ध्यान में रखकर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। सामान्य परिषद छ: माह में कम से कम एक बार अवश्य मिलेगी।

2.8.2 कार्यपालक समिति:-

1	**सचिव, खेल, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय**	**अध्यक्ष**
2	संयुक्त सचिव (खेल विकास) तथा मिशन निदेशक	सह-अध्यक्ष
3	संयुक्त सचिव, (युवा कार्यक्रम)	सदस्य
4	वित्तीय सलाहकार (युवा कार्यक्रम और खेल)	सदस्य
5	सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल तथा छः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज्यों में चयनित सचिव	सदस्य
6	छः चयनित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण विभागों के सचिव	सदस्य
7	पूर्वोत्तर राज्यों के योजना सचिव	सदस्य
8	वामपंथी उग्रवादी प्रभावित जिलों के लिए एसीए हेतु 9 राज्यों गृह/योजना के सचिव	सदस्य
9	चयनित वीआरजीएफ राज्यों के सचिव (6 संख्या में)	सदस्य
10	ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज, योजना आयोग, पूर्वोत्तर विकास, (डीओएनईआर), नई तथा नवीकरण ऊर्जा (एमएनआरई), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रतिनिधि जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम रैंक के न हो।	सदस्य
11	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य
12	महानिदेशक, नेहरु युवा केन्द्र संगठन	सदस्य
13	कार्यकारी निदेशक (अकादमी), एसएआई एनएस, एनआईएस पटियाला	सदस्य
14	निदेशक पीआरसी, एलएनयूपीई, ग्वालियर (म.प्र.)	सदस्य
15	राज्यों/संघ राज्यों में खेल/युवा सेवाओं के सचिव, जिनके प्रस्तावों पर कार्यपालक समिति की बैठकों में विचार किया जाता हो	सदस्य
16	डोमेन विशेषज्ञ परामर्शदाता (परियोजना अधिकारी)	सदस्य
17	आरजीकेए के उपसचिव/निदेशक (खेल) तथा उपमिशन निदेशक आरजीकेए	सदस्य-सचिव

कार्यपालक समिति की भूमिका और जिम्मेवारियाँ:- कार्यपालक समिति (ईसी) को आरजीकेए के मिशन योजना को अनुमोदित करने तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्रवाई योजनाओं के ब्यौरे को अनुमोदित करने, राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य तकनीकी पशमर्शदाता तथा क्षेत्र खेल विशेषज्ञ परामर्शदाता को नियुक्त करने, विभिन्न शीर्षी के अंतर्गत व्यय के स्वीकार्य मदों की सूची, अध्ययनों, मिशन के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता को नियुक्त करने, अन्य खेल योजनाओं के साथ संयोजन कर समीक्षा

करने और ऐसे अन्य अधिकारो का प्रयोग करने जो सामान्य समिति द्वारा सौंपा जाए, को पूरा करने का अधिकार होगा ।

2.8.3 राज्य स्तर कार्यपालक समिति

1	**मुख्य सचिव**	**अध्यक्ष**
2	युवा कार्यक्रम और खेल, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी तथा योजना के सचिव	सदस्य
3	5 चयनित जिलों के डीएम और कलैक्टर	सदस्य
4	अध्यक्ष/महानिदेशक/राज्य खेल प्राधिकरण के प्रबन्ध निदेशक	सदस्य
5	क्षेत्रीय समन्वयकर्ता, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य
6	क्षेत्रीय निदेशक, एनवाईकेएस	सदस्य
7	राज्य तकनीकी परामर्शदाता, आरजीकेए	सदस्य
8	राज्य खेल परिसंघों से तीन प्रतिनिधि	सदस्य
9	निदेशक (युवा कार्यक्रम और खेल) तथा राज्य मिशन निदेशक	सदस्य-सचिव

राज्य स्तर कार्यपालक समिति की भूमिका एवं जिम्मेवारियाँ:- राज्य स्तर कार्यपालक समिति को जिला आरजीकेए मिशन प्लान तथा वार्षिक कार्रवाई प्लान को मंजूर करने तथा खेल अवसंरचना के सृजन हेतु एवं प्रतियोगिताओं का वार्षिक केलेन्डर तैयार करने संबंधी राज्य आरजीकेए मिशन प्लान तथा वार्षिक कार्रवाई प्लान को अंतिम रुप देने, समग्र मिशन दिशा-निर्देशों के तहत् राज्य के अन्दर स्रोतों को पुन: आबंटन करने; राज्य तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्त करने, सम्पूर्ण सुझाव तथा निर्देशन देने; अतिरिक्त सदस्यों/अतिथियों को नामित करने; तथा मिशन के कार्यान्वयन को माँनीटर करने, उसकी समीक्षा करने तथा मूल्यांकन करने का अधिकार होगा।

2.8.4 जिला स्तर कार्यपालक समिति:

1	**डीएम/कलेक्टर/उपायुक्त**	**अध्यक्ष**
2	जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी(सीईओ, डीपी) /जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के परियोजना अधिकारी(पीडी, डीआरडीए)	उपाध्यक्ष
3	चयनित पंचायत समितियों के पांच सभापति तथा चयनित पंचायतों के पांच सरपंच	सदस्य
4	जिला पंचायत अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5	जिला युवा समन्यवयकर्ता, नेहरु युवा केन्द्र संगठन	सदस्य
6	जिला खेल अधिकारी	सदस्य सचिव

विशेष अतिथि:-

1. अध्यक्ष जिला पंचायत
2. संसद सदस्य

जिला स्तर कार्यपालक समिति की भूमिका एवं जिम्मेवारियाँ:- जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डीएलईसी) को सम्पूर्ण मिशन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ब्लाकों के चरणबद्ध कवरेज की सिफारिश करना; ब्लाक मिशन योजनाओं को अनुमोदित करना तथा खेल अवसंरचना के सृजन और प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र में जिलास्तरीय मिशन योजना को अंतिम रुप देकर तैयार करना, पूरे मिशन को दिशा निर्देशों के अंदर जिले में संसाधनों को पुन: आबंटित करना, उन्हें अंतिम रुप देकर निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना, पूरे मिशन दिशा निर्देशों के अंदर जिलें में संसाधनों को पुन: आबंटित करना, पूरे दिशा निर्देश देना और पंचायत ब्लाक और जिला स्तरीय मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी करना, समीक्षा करना तथा मूल्यांकन करना और ऐसे अन्य अधिकार जैसा कि राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा उन्हें सौंपा जाए, को पूरा करने का अधिकार होगा।

समितियों के ऊपर वर्णित अध्यक्षों को अधिकार है कि वह समिति का गठन किसी भी सदस्य को शामिलकर/छोड़कर/सहयोजित कर करें तथा किसी भी विशेष अतिथि को सम्बद्ध स्तर पर मांग की आवश्यकतानुसार आमंत्रण दे।

2.9 फंडिंग पैटर्न:

(i) राज्य का हिस्सा: खेल राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों को खेलों पर कुछ भाग खर्च करना होगा ताकि इस योजना में राज्यों द्वारा सहभागिता संबंधी अनुमति तथा स्वामित्व जाग्रत होगा। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि खर्चो का केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विद्यमान पैटर्न सामान्य राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में तथा विशेष श्रेणी राज्यों के संबंध में 90:10 के अनुपात में अनावर्ती अनुदान में जारी रखा जाए।

(ii) मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर खेल-मैदानों का सर्जन: आरजीकेए स्कीम अन्य संगठनों/स्कीमों से संसाधनों को संचारित कर अभिसरण अप्रोच की ओर ध्यान दिलाती है। इस संबंध में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी, 2013 के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत ग्राम स्तर पर खेल मैदानों के निर्माण को एक क्रिया-कलाप के रुप मे शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, आरजीकेए स्कीम में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के प्रयोग हेतु खेल-मैदानों के निर्माण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए है। इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की मनरेगा स्कीम के तहत ग्राम स्तर पर खेल मैदानों का विकास किया जाए, चूंकि मनरेगा निधि का एक मुख्य भाग केवल श्रमिकों के लिए बना है। पंचायत को खाली पड़ी भूमि प्रदान करना है तथा पिछले वर्षो पायका के अंतर्गत सर्जित किए गए खेल-मैदानों तथा मनरेगा के तहत् सर्जित किए जा रहें खेल-मैदानों को एवं आरजीकेए के अंतर्गत सर्जित की जाने वाली ब्लाक स्तर खेल अवसंरचना सुविधाओं का भी अनुरक्षण/अपग्रेडेशन अपने हाथ में लेना है। वे पंचायतें जिनके पास स्कूल खेल अवसंरचना समेत पहले से ही बुनियादी खेल अवसंरचना सुविधाएं है तथा जिन्हें सामुदायिक खेलों हेतु स्कूल घंटो के बाद तथा अवकाश के दिनों में भी उपयोग में लाया जा सकता है उन्हें यह सुनिशिचत करना चाहिए कि ऐसी अवसंरचना को सामुदायिक उपयोग अथवा खेल क्लबों/यूथ क्लबों

द्वारा प्रबन्ध किए जाने पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। विद्यालयों को पहली वरीयता दी जाए, यदि उनके पास भूमि उपलब्ध है। प्रयास किया जाए कि मनरेगा के अंतर्गत, प्रत्येक ग्राम पंचायत के तहत् कम से कम एक खेल-मैदान सर्जित हो सके।

(iii) यह प्रस्ताव है कि अभी तक ग्राम पंचायतों तथा ब्लाक पंचायतों को जारी किया गया एक बार पूंजी अनुदान (अनावर्ती अनुदान) तथा वार्षिक अर्जन अनुदान तथा वार्षिक प्रचालन अनुदान (आवर्ती अनुदान) की निधि को सुरक्षित रखा जाए। राज्यों/संघ राज्यों से कहा जाए कि अभी तक जारी की गई निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करें तथा अपने लेख का निपटान करें। वर्तमान आरजीकेए स्कीम के अनुसार राज्यों/संघ राज्यों को ग्राम पंचायतों तथा ब्लाक पंचायतों हेतु कोई आगे अनुदान की मंजूरी नहीं दी जाएगी। अनुदान आगे जारी नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर क्रीड़ाश्री को इस प्रस्ताव पर ध्यान देना होगा।

(iv) आरजीकेए स्कीम के अंतर्गत ब्लाक स्तर पर खेल अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों/संघ राज्यों को तीन घटकों के साथ सहायता अनुदान मुहैया कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए निधि को नीचे दिए ब्यौरे अनुसार सहायता-अनुदान के रुप में मुहैया कराया जाता है:--

2.9.1 अवसंरचना घटक:

(i) ब्लाक स्तर पर खेल सुविधाओं के सर्जन हेतु एक बार पूंजी अनुदान: खेल प्रतिभा के सुधार हेतु, यह भी आवश्यक है कि ब्लाक स्तर पर पर्याप्त बढिया किस्म की खेल अवसंरचना सुविधा को बढ़ाया जाए। तदनुसार, यह प्रस्ताव है कि अगले 5 वर्ष की अवधि के अंदर पर्याप्त खेल अवसरंचना सुविधाएं सर्जित की जाएं। यह भी प्रस्ताव है कि ब्लाक स्तर खेल परिसर में निम्नलिखित खेल-कूद सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं:-

(क) बाहरी खेल-कूद विधाएं:-

- एथेलेटिक्स
- तीरंदाजी
- बैडमिंटन (2 मैदान)
- बास्केट बाल
- फुटबाल
- हैंडबाल
- हॉकी
- कबड्डी
- खो-खो
- टैनिस तथा
- वालीबाल

(क) इन 11 संख्याओं में से, बाहरी खेल विधाएं हेतु 5 खेल विधाएं एथेलेटिक्स बैडमिंटन; फुटवाल/हॉकी; कबड्डी/खो-खो तथा वालीबाल/बास्केटबाल अनिवार्य होगी।

(ख) बाकी छः संख्याओं में से, बाहरी खेल विधाएं अर्थात तीरंदाजी, फुटबाल/हॉकी; हैंडबाल; कबड्डी/खो-खो; वालीबाल/बास्केटबाल तथा टैनिस है, इसमें राज्य को विकल्प होगा कि इसमें से कोई तीन अथवा सभी विधाओं को चयन करें।

(ग) राज्य को यह भी विकल्प होगा कि वह बकाया तीन विधाओं में से किसी भी विधा को प्रतिस्थापित करें।"इन 11 संख्या की विधाओं में से बाहरी खेल विधाएं स्थानीय महत्व तथा मांग के अनुसार होगी। निशानेबाजी भी एक वैकल्पिक खेल विधा है। **राज्य को यह विकल्प होगा कि वह बाकी 3 में से किसी एक को प्रतिस्थापित करें। बाकी 11 भीतरी खेल विधाओं में निशानेबाजी खेल विधा को भी शामिल करें।**

(घ) बाहरी खेल विधाओं हेतु कुल अनुमानित लागत अनुमानतः 80 लाख रुपये है। मनरेगा के अंतर्गत खेल-विधाओं का चयन 80 लाख रुपये की कुल राशि के अंतर्गत होगा तथा जनशक्ति तथा सामग्री अवयवों हेतु यह क्रमशः 60 और 40 होगा।

(ख) भीतरी खेल विधाएं:-

- मुक्केबाजी
- कुश्ती
- टेबलटेनिस
- भारोत्तोलन
- एक मल्टी-जिम की व्यवस्था

विभिन्न भीतरी खेल विधाओं की अनुमानित लागत 80 लाख रुपये है, इसलिए बाहरी खल मैदानों की लागत समेंत, कुल जोड़ 1.60 करोड़ रुपये है। 3 खेल प्रशिक्षकों के बैठने की व्यवस्था के अतिरिक्त भीतरी हाल का एक भाग जिसका अधिमापन 30 स्क्वायर मीटर होगा का उपयोग यूथ रिसोर्स सेन्टर के लिये किया जाएगा।

(ग) प्रस्तावित फंडिंग पैटर्न: ऊपर वर्णित प्रत्येक ब्लाक पंचायत के लिए अनुमानित 1.60 करोड़ रुपयों में से, 50 प्रतिशत मनरेगा से तथा बाकी 50% निम्न स्कीमों में से वरीयता क्रम से मिलेगा।

- नान लेप्सेवल सेन्ट्ल पूल आफ रिसोर्सिस (एनएलसीपीआर-सेन्ट्ल) - (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय)
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (एलडब्ल्यूई) हेतु एसीए - (योजना आयोग)
- पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि-(बीआरजीएफ) - पंचायती राज मंत्रालय
- आरजीकेए (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

(क) मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के अंतर्गत फंडिंग: ब्लाक स्तर के प्रस्तावित खेल परिसर में, जैसा कि ऊपर पहले ही वर्णित है, दो श्रेणी की खेल विधाएं अर्थात बाहरी तथा भीतरी होंगी। मनरेगा, के अनुसार, नरेगा निधि का उपयोग वेतन तथा सामग्री हेतु केवल 60:40 के अनुपात में लगाया जाना चाहिए। चूंकि निधि के मुख्य भाग का उपयोग लगभग 6-7 एकड़ भूमि के विकास तथा लेवलिंग समेत केवल अकुशल श्रमिक घटकों पर लगाए जाने की आवश्यकता है। यह प्रस्ताव किया

जाता है कि मनरेगा निधि को केवल बाहरी खेलों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाए ताकि अकुशल श्रमिक घटक बनाम कुशल/अर्द्धकुशल तथा सामग्री संबंधित घटकों का क्रमश: 60:40 का अनुपात बना रहे। एमजीएनआरईजीए के दिशा-निर्देश जैसे कार्य को विभागीय रुप से लेना; ठेकेदारों का आवेष्टन न करना; मशीनरी का उपयोग न होना; कार्य को ग्राम/ब्लाक पंचायत श्रमिक बजट आदि में शामिल करना आदि का कठोरता से पालन किया जाए। प्रत्येक बाहरी विधा की अनुमानित लागत 80 लाख रुपये है। यह लागत त्रिपुरा सरकार के ग्रामीण विकास विभाग पर आधारित 11 बाहरी खेल विधाओं हेतु खेल अवसंरचना सुविधाओं के लिए तैयार किए गए अनुमान के द्वारा आगे पुन: विधिमानित किया गया था। फिर भी, जैसा कि अनुमानित लागत राज्य में अलग-अलग है, इसे आरडी विभागों के एसएसआर के अंतर्गत, यदि यह वर्तमान में अलग-अलग है, तो इसे प्रत्येक राज्य द्वारा अलग-2 घोषित किए गए अकुशल/अर्द्ध-कुशल तथा कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के तहत संशोधित करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक खेल परिसर 50% लागत को मनरेगा से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास मंत्रालय (एमओडीएनईआर) के अंतर्गत नान-लेप्सेबल सेन्ट्ल पूल आफ रिसोर्सिस (एनएलसीपीआर-सेन्ट्ल) के तहत फंडिंग: उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का एनएलसीपीआर सेन्ट्रल पार्ट सिक्किम समेत विभिन्न उत्तर-पूर्वी राज्यों की लोक अवसंरचना के सृजन का प्रबन्ध करता है। यह प्रस्ताव है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के भीतरी खेल हाल की लागत को एनएलसीपीआर से पूरा किया जाए। एनएलसीपीआर-सेन्ट्ल के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा सम्बद्ध राज्यों को एनएलसीपीआर-सेन्ट्ल पार्ट के अंतर्गत प्राथमिकता आधार से अपेक्षित निधि जारी करने के लिए अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि वर्ष 2014-15 से आगे प्रारम्भ होने वाले वर्षों हेतु इस स्कीम के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास मंत्रालय द्वारा अपेक्षित निधि जारी की जा सके।

(ग) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु एसीए के अंतर्गत फंडिंग (योजना आयोग): 9 राज्यों में फैले 88 जिलों में जिसमें 1189 ब्लाक शामिल हैं, योजना आयोग के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों हेतु एसीए स्कीम के तहत कवर किए गए है। इस स्कीम के अंतर्गत खेल परिसरों के विकास को उक्त स्कीम के दिशा-निर्देशों और मापदंडो का अनुपालन करते हुए एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों हेतु एसीए के **"शीर्षक लोक अवसंरचना और सेवाओं"** के अंतर्गत कवर किया जा सकता है।

(घ) बीआरजीएफ के अंतर्गत फंडिंग (एमओपीआर): पंचायती राज मंत्रालय के बीआरजीएफके अंतर्गत, प्रत्येक जिले को 30 करोड़ रुपये वार्षिक की एक नियत न्यूनतम राशि प्रदान की जाती है। इस निधि का उपयोग संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी उद्देश्य हेतु विकास में सहायक मदों के अंतर्गत काम में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एससी तथा एसटी विकास हेतु उद्विष्ट प्राथमिकता मदों की सूची "ग्रामीण खेल मैदानों में लगा दी जाएगी। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि इस स्कीम के लिए बीआरजीएफ निधि का उपयोग किया जाए। जहां कहीं भी एलडब्ल्यू ई प्रभावित जिलों

हेतु एसीए तथा बीआरजीएफ की किसी जिले में कोई ओवरलेप है तो पहले वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ड.) आरजीकेए (एमवाईएएस) के अंतर्गत फंडिंग: एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों तथा बीआरजीएफ हेतु एनएलसीपीआर-सेन्ट्ल, एसीए से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पश्चात आरजीकेए स्कीम के अंतर्गत एमवाईएएस द्वारा खेल परिसर के निर्माण हेतु बाकी ब्लाकों/जिलों को कवर किया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि खर्चे के हिस्से को विद्यमान पैटर्न के अनुसार केन्द्र और राज्यों के बीच सामान्य राज्य के लिए 75:25 के अनुपात में तथा विशेष श्रेणी राज्यों (7 पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) तथा संघ राज्यों को 90:10 अनुपात में जारी रखा जाए। वे संघ राज्य जहां विधान सभा नहीं हैं, 100% केन्द्रीय सहायता की मौजूदा पद्धति जारी रखी जाए।

(च) एमपीएलएडीएस के अंतर्गत फंडिंग: जैसा कि पायका स्कीम सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एमपीएलएडीएस के साथ अभिसरित हो गई है, आवश्यकता पड़ने पर, संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से समन्वय स्थापित कर एमपीएलएडी से निधि प्राप्त की जाए बशर्ते कि सम्बद्ध संसद सदस्य द्वारा इस पर अपनी सहमति व्यक्त की गई हो। एमएलएएलएडीएस निधि का उपयोग भी उसी प्रकार किया जा सकता है जहां कहीं राज्यों ने एमएलएएलडीएस को पायका आरजीकेए के अभिसरण हेतु आदेश जारी किए हो बशर्ते कि इस पर सम्बद्ध एमएलए द्वारा इस पर अपनी इच्छा व्यक्त की हो।

(घ) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जिलों और राज्यों को कवर करना: विभिन्न स्कीमों अर्थात एनएलसीपीआर सेन्ट्ल (एमओडीओएनईआर); एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों हेतु एसीए (योजना आयोग); तथा बीआरजीएफ (एमओपीआर) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों के विभिन्न जिलों में कवर किए गए ब्यौरे के अनुसार राज्यों/संघ राज्यों को खेल अवसंरचना के विकास के लिए 80 लाख रुपये प्रति ब्लाक के हिसाब से यह अनुदान उपलब्ध कराया जाता है **(अनुबंध 1)।** आरजीकेए के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शेयरिंग पैटर्न सामान्य राज्यों के लिए 75:25 तथा विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90:10 होगा। तदनुसार, प्रति ब्लाक पंचायत केन्द्रीय अनुदान सामान्य राज्यों के लिए 60 लाख रुपये तथा विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 72 लाखरुपये का होगा। सामान्य राज्यों के संबंध मे बकाया राशि 20 लाख रुपये प्रति ब्लाक पंचायत तथा विशेष श्रेणी राज्यों के संबंध में 8 लाख रुपये प्रति ब्लाक पंचायत, राज्यों द्वारा अंशदान के रुप में दी जाएगी। नरेगा, एनएलसीपीआर-सेन्ट्ल; एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के लिए एसीए तथा वभिन्न मंत्रालयों की बीआरजीएफ स्कीमों हेतु केन्द्र और राज्य के हिस्से में विद्यमान फंडिंग पैटर्न का पालन किया जाएगा।

(ड.) वित्तीय लागत: कुल अनुमानित वित्तीय लागत (अनावर्ती) निम्न रुप से होगी:-

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	स्रोत	अपेक्षित कुल निधि	वार्षिक मांग
1	एमजीएनआरईजीए	**5236.00**	1047.20
2	एनएलसीपीआर-सेन्ट्ल	**452.80**	90.56
3	एलडब्ल्यू प्रभावित क्षेत्रों के लिए एसीए	**951.20**	190.24
4	बीआरजीएफ	**1654.40**	330.88
5	आरजीकेए	**2747.85**	549.55
	कुल	**11042.25**	**2208.45**

(ii) खेल उपस्कर तथा खेल फर्नीचर के लिए अर्जन अनुदान: खेल परिसर के निर्माण की लागत के अतिरिक्त, यह प्रस्ताव है कि एमवाईएएस देश भर के सभी ब्लाकों में खेल उपस्कर तथा फर्नीचर की खरीद के लिए क्रमश: 15 लाख रुपये तथा 1.5 लाख रुपये की निधि मुहैया कराएगा। यह 100% केन्द्रीय सहायता के रुप में प्रस्तावित है। खेल उपस्कर तथा फर्नीचर उपलब्ध कराने के संबंध में, यह प्रस्ताव है कि वर्ष 2015-16 से निधि का वितरण आरंभ किया जाए, जब तक यह मंजूर किया गया खेल परिसर उपयोग के लिए तैयार होगा।

2.9.2 प्रचालन अनुदान: यह 100% केन्द्रीय अनुदान है जो प्रत्येक खेल कोच को 3500/-रुपये की दर से तथा दो खेल प्रशिक्षकों को प्रति 2500/- रुपये प्रति ब्लाक खेल परिसर हेतु मानदेय के भुगतान को शामिल कर पांच वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। **ब्लाक स्तर खेल परिसर पर परिनियोजित तीन खेल प्रशिक्षकों में से कम से कम एक महिला होनी चाहिए।** राज्य/संघ राज्य इस बात के लिए स्वंतत्र है कि वे मानदेय की समान बराबरी की राशि खेल कोच/प्रशिक्षक को अपने संसाधनों से मानदेय के रुप में दें। इसके अतिरिक्त, जिला/ब्लाक खेल परिषद/ब्लाक पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे मास्टर खेल प्रशिक्षक तथा दो खेल प्रशिक्षकों को मानदेय की समान राशि का अंशदान दें ताकि मास्टर खेल कोच तथा दो खेल प्रशिक्षक एक बहुत बड़ी तथा एक-मुश्त राशि मानदेय के रुप में प्राप्त कर सकें तथा वे आरजीकेए के अंतर्गत ब्लाक स्तर खेल परिसर में खेल प्रतिभा में अपने प्रशिक्षण कार्य में सक्रिय रुप से रुचि ले सकें। पांच वर्ष के बाद, राज्य सरकार की यह जिम्मेवारी होगी कि वे इस घटक में निधि उपलब्ध कराए।

2.9.3 मास्टर खेल प्रशिक्षक/खेल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर लागत: कुल 19635 मास्टर खेल प्रशिक्षक तथा खेल प्रशिक्षक (6545x3) को उचित रुप से प्रशिक्षित किया जाना है। प्रशिक्षण की अनुमानित

लागत 12.96 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है तथा इन सभी 19635 कोचों और उनके प्रशिक्षण पर 3 वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण हेतु लागत 64.80 करोड़ रुपये है। इसका ब्यौरा **अनुबंध 2 पर** है।

2.9.4 वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं: आरजीकेए स्कीम का एक मुख्य क्षेत्र प्रतियोगिताओं/ टूर्नामेन्टों का आयोजन करना है। वार्षिक टूर्नामेन्ट सभी के लिए विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए अपनी खेल प्रतिभा में उत्कृष्टता दिखाने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रतियोगिता खेल कौशलता का निर्माण करती है तथा युवाओं के मध्य प्रतियोगी स्फूर्ति है। इससे स्वास्थ्य, आत्म-विश्वास, नेतृत्व योग्यता तथा सामाजिक समावेशता मे भी सुधार होगा। पूरे देश में संगठित तरीके से वार्षिक टूर्नामेन्टों के आयोजन से संबंधित नियमों और विनियमों समेत दिशा-निर्देशों को समय-समय पर संशोधित कर उनका अनुपालन किया जाएगा। जिला स्तर प्रतियोगिताओं में ग्रामीण युवा (दोनों लड़के और लड़कियां) जो कि प्रतियोगिता वर्ष में 31 दिसम्बर को 16 वर्ष से कम आयु के हैं, इनमें भाग ले सकते हैं। भारत सरकार राज्यों/संघ राज्यों तथा अन्य नामित एजेन्सियों को ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निम्न प्रतियोगिताओं/खेलों का आयोजन करने के लिए, नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार 100% अनुदान मुहैया कराती है:--

1. ग्रामीण प्रतियोगिताएं
2. उत्तर-पूर्वी खेल
3. महिला प्रतियोगिताएं एवं
4. विशेष क्षेत्र (एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों + जम्मू और काश्मीर)

(क) राष्ट्रीय स्तर पर खेल विधाओं की सूची:

तीरंदाजी एथेलेटिक्स बैडमिंटन बास्केट बाल मुक्केबाजी	साइक्लिंग फुटबाल जिमनास्टिक हैंडबाल हॉकी	जूडो कबड्डी खो-खो तैराकी टेबल-टैनिस	ताइक्वांडो वालीबाल भारोत्तोलन कुश्ती बुशु टेनिस

(ख) ग्रामीण प्रतियोगिताएं: ग्रामीण प्रतियोगिताओं का आयोजन ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित रुप में किया जाता है। यह एक सामूहिक भागीदारी खेल प्रतियोगिता है। इन प्रतियोगिताओं में ब्लाक स्तर तक सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते है। ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण प्रतियोगिताएं 05 खेल विधाओं में आयोजित की जाती हैं, और जिला एवं राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए ऊपर दिए गए 21 खेलों की सूची में से 10 खेल विधाओं में आयोजित की जाती हैं।

(क) प्रतियोगिता अनुदान: प्रतियोगिता अनुदान तथा पुरस्कार राशि की विद्यमान वित्तीय सीमा बहुत ही कम है, इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। प्रतियोगिताओं के विभिन्न घटकों के विद्यमान दरों को तथा परिशोधित दरों को दर्शाती एक विवरणी **अनुबंध 3 पर** है। नीचे दिए गए मानकों के अनुसार वार्षिक टूर्नामेन्टों के आयोजन के लिए यह 100% अनुदान है।

(ख) पुरस्कार राशि: यह 100% केन्द्रीय अनुदान है जो विजेता खिलाडियों को वितरित किया जाता है।

(ग) पूर्वोत्तर खेल: जन-जातीय तथा पारंपरिक खेलों, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र खेलों को प्रोत्सहित करने तथा बढ़ावा देने हेतु, उत्तर-पूर्वी खेलों के नाम और शैली पर आधारित वार्षिक प्रतियोगिताओं का जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाना है। इन खेलों के आयोजन हेतु पूर्वोत्तर राज्यों को 100% केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है।

(घ) महिला प्रतियोगिताएं:- यह 100% अनुदान है जो महिला खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु वार्षिक रुप से दिया जाता है।

(ड.) विशेष क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताएं:

विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं अर्थात ग्रामीण प्रतियोगिता, महिला प्रतियोगिता तथा उत्तर-पूर्वी खेलों को आरजीकेए के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली विद्यमान प्रबंध व्यवस्था को जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव है कि 9 राज्यों में फैले वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों (एलडब्ल्यूई) में जो मौजूदा 88 संख्या में है जो योजना आयोग तथा जम्मू कश्मीर को भी स्कीम द्वारा **"एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों हेतु एसीए"** में कवर करता है, में भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। इन प्रतियोगिताओं का अर्थ है बच्चों को काम में लगाये रखना तथा उन्हें अनैतिक गतिविधियों से दूर रखना है। इन प्रतियोगिताओं का तरीका ग्रामीण प्रतियोगिताओं जैसा है जो इस स्कीम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।

(च) प्रतियोगिताओं का केलेन्डर: यह प्रतियोगिताएं प्रगति हेतु आयोजित की जाती है तथा इन्हें प्रत्येक प्रतियोगिता के सामने दर्शाए महीनों में पूरा किया जाता है:

(क) ब्लाक स्तर प्रतियोगिताएं प्रत्येक वर्ष अगस्त के अंत में।

(ख) जिला स्तर प्रतियोगिताएं प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के अंत में तथा

(ग) राज्य स्तर प्रतियोगिताएं प्रति वर्ष नवम्बर के अंत में।

प्रतियोगिताओं की उपर्युक्त अनुसूची केवल निदर्शी है तथा राज्य/संघ राज्य अपने-अपने सम्बद्ध राज्यों/संघ राज्यों की जलवायु-विषयक संबंधी स्थिति, स्कूल/कालेज परीक्षा आदि को ध्यान मे रखकर ब्लाक स्तर से राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं की अनुसूची को भी तैयार करेगे। परन्तु सभी निम्न स्तर

प्रतियोगिताओं को प्रत्येक वर्ष नवम्बर तक पूरा करने की आवश्यकता है ताकि दिसम्बर/जनवरी के दौरान आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं में राज्य टीम भाग लेने की स्थिति मे हो।

2.9.5 स्वतंत्र माँनीटरिगं तथा मिशन अभियान समेत प्रशासनिक खर्चे: परियोजना की कुल अनुमानित लागत का आरजीकेए के शेयर का 6% (अनावर्ती तथा आवर्ती तत्वों को शामिल करने के बाद) प्रशासनिक खर्चे तथा अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ण-कालिक बाहरी मानीटरिंग तथा पर्यवेक्षण एजेन्सी का प्रबंध करना विशेषकर 634 जिलों के 6545 ब्लाकों को अगले पांच वर्ष की अवधि में कवर कर ब्लाक खेल अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना; ब्लाक स्तर पर खेल कोचों/प्रशिक्षकों का चयन प्रशिक्षण एवं परिनियोजन तथा नियमित रुप से विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का प्रस्ताव है।

यह 6% की राशि तीन विशिष्ट उद्वेश्यों के उपयोग के लिए होगी:

(क) 1% राशि राज्य प्राधिकारियों के पास आरजीकेए प्रशासन से संबंधित खर्चों के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ख) 2% राशि जिला स्तर (डीएम एवं कलेक्टर) की कार्यान्वयन एजेन्सियों के निपटान पर प्रस्तावित ब्लाक स्तर खेल अवसंरचना सुविधाओं के पर्यवेक्षण खर्चे से संबंधित होगी।

(ग) 3% राशि स्कीम हेतु आरजीकेए निदेशालय के पास संबंधित क्रियाकलापों बाहरी माँनीटरिंग एजेन्सियों तथा आरजीकेए स्कीम के प्रचुर मात्रा में प्रचार हेतु होगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रेमियों की खेलों में भागीदारी बढ़ सकें।

(क) खर्चे की मदें: खर्चे की मदों में मिशन कार्मिकों के पारिश्रमिक से संबंधित भुगतान बाहरी स्रोत कार्य जैसे आइटी मैनेजमेन्ट सूचना प्रणाली का विकास तथा प्रबन्धन को सार्थक बनाना, कोचों/प्राशिक्षकों के लिए वेबसाइट विकास हेतु उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन, वेब समर्थित रिपोर्टिगं प्रणाली, स्थान का किराया तथा कार्यालय उपस्कर की खरीद, मिशन अभियान के लिए एजेन्सी सेवाओं का किराया देना, दृश्य-प्रचार प्रस्तुति तथा मिडिया कैम्पन अभियान, ठेकदारी अथवा अनुसंधान अध्ययन सहायता, निरीक्षण अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण खेलों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा एक्सचेंज कार्यक्रमों को बढावा देना, माँनीटरिगं तथा मूल्यांकन तथा अन्य कोई क्रियाकलाप जो पायका (आरजीकेए) की सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया हो, शामिल है। यह अनुमोदित प्रकिया, सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों पर आधारित होगी। सामान्य परिषद अपना स्वयं का अधिनिमय लाएगी जिसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा स्वायत्त निकायों से प्राप्त अंशदान, निजी एवं सार्वजानिक कार्पोरेट हस्तियों, ट्रस्टों, समितियों तथा इंडीविजुअलों से प्राप्त अनुदान निधि की परिसंपत्तियों में शामिल होगा बशर्ते कि सामान्य परिषद द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था से प्राप्त किया गये अंशदान को स्वीकृति अथवा उसके संबंध में, सामान्य परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

2.9.6. सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने वाले राज्यों को नकद प्रोत्साहन: यह प्रस्ताव है कि वर्ष 2014-2015 से 05 वर्षों की अवधि हेतु तीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने वाले राज्यों का चयन किया जाए।

2.9.7. राज्यों/संघ राज्यों का निधि: केन्द्रीय सरकार से वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक पंचायत स्तर पर आरजीकेए से सम्बद्ध निधि प्रवाह राज्य सरकारों के माध्यम से था, जिनका निधि प्रवाह राज्य वित्त विभाग, खेल विभाग/ग्रामीण विकास विभाग, जिला स्तरीय प्रशासन तथा पंचायत स्तर (ब्लाक/ग्राम) से है। इस निधि प्रवाह के सिलिसले ने काफी समय अवधि ली और ऐसे उदाहरण है कि जहाँ राज्य संचित निधि से जारी की गई निधि बिल्कुल जारी नहीं की गई अथवा केवल कुछ वर्षों के पश्चात खेल विभाग/राज्य खेल परिषद को जारी की गई। यद्यपि विभिन्न राज्यों के खेल मंत्री सचिवों ने यह अनुरोध किया है कि वह प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाएँ। उन्होंने 24 और 25 मई 2013 को आयोजित खेल मंत्रियों/सचिवों के वार्षिक सम्मेलन में निधि जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कहा कि विशेषकर ब्लाक स्तर खेल परिसर; खेल उपस्कर; ब्लाक स्तर तथा जिला स्तर खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित निधि को प्रत्यक्ष रुप से जिला मजिस्ट्रेटों को भेजा जाए जबकि राज्य/राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित निधि सचिव खेल/सचिव, राज्य खेल परिषद को सीधे भेजना जारी रखा जाए। फिर भी राज्य संचित निधि के माध्यम से निधि प्रवाह की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी। इस निधि प्रवाह को सेन्टल प्लान स्कीम मॉनीटारिगं सिस्टम द्वारा मॉनीटर किया जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि भीतरी खेल हाल के निर्माण हेतु जारी की जाने वाली निधि (प्रत्येक 80 लाख रुपये, प्रीफैवरिकेटिड सामग्री के साथ एकरुपता लाने तथा 3-4 वर्ष की अवधि में 634 जिलों के विभिन्न ब्लाकों में तुरंत निर्माण हेतु) को दोनों ही केन्द्र और राज्य हिस्से को निलम्वलेख (एस्क्रो) खाते में यानि दो और तीन सेन्टल कन्स्ट्रक्शन पीएसयू जैसे एनबीसीसी; हिन्दुस्तान प्रीफेव लि0 (एचपीएल); एनपीसीसी;एचएससीएल; ईपीआई; इरकोन; आरआईटीईसी आदि कार्यान्वित एजेन्सियों द्वारा तैयार कराया जाना चाहिए, **जिन्हें एक प्रतियोगी बोली पद्धति के माध्यम से सूची में रखा जाएगा।** इस निधि का प्रयोग चयनित पीएसयू द्वारा (प्रीफैवरिकेटिड) भीतरी हाल के लिए सप्लायर को भुगतान करने के लिए किया जाएगा। प्रति वर्ष प्राप्त होने वाला ब्याज, प्रोत्साहन के रुप में राज्य के निष्पादन हेतु उस वर्ष राज्य में स्थापित भीतरी हाल ढांचे के अनुपात में उपलबध कराया जाएगा।

विभिन्न स्रोतों अर्थात मनरेगा; एनएलसीपीआर-सेन्ट्ल; एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के लिए एसीए; बीआरजीएफ; आरजीकेए; एमपीएलएडीएस/एमएलएएलएडीएस से प्राप्त निधि जिला मजिस्ट्रेट स्तर (डीएम) पर इकटठी की जाएगी जो स्कीम के कार्यान्वयन हेतु अपने अंतर्गत विभिन्न ब्लाकों में 5 वर्ष की अवधि के लिए उचित मंजूरी आदेश जारी करेगा।

3.	अध्याय	प्रशासनिक मामले

3. प्रशासनिक मामले:

3.1 सतर्कता: राज्य स्तर, जिला स्तर तथा ब्लाक स्तर पर एमजीएनआरईजीए, 2013 के प्रचालन दिशा-निर्देशों के पृष्ठ 117-119 पर दिए सतर्कता संबंधी विद्यमान उपबंधों को ब्लाक स्तर खेल परिसर के विकास के साथ आरजीकेए में लागू किए जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश सं. 0-13018/2002ए I'(आरडी) खंड-2 (पार्ट) दिनांक 09-11-2014 में अलग-अलग राज्यों में **संसद सदस्य को अध्यक्ष**, सभापति के रुप में तथा जिला परिषद एवं **एमएलए** को सदस्य के रुप में तथा सरकारी आधिकारियों द्वारा गठित जिला स्तर सतर्कता एवं पर्यवेक्षण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। उक्त **जिला स्तर सतर्कता एवं मानीटरिंग कमेटी** को **प्रतिष्ठित खिलाड़ियों** तथा जिला युवा समन्वयकर्ता **(डीवाईसी),** एनवाईकेएस को सदस्य के रुप में शामिल कर इसका आगे विस्तार किया जाएगा।

3.2 बाहय माँनीटरों द्वारा गुणता माँनीटरिंग: आरजीकेए की विद्यमान मानीटरिंग रचना को आरजीकेए के अधिक संख्या में बाहय मानीटर के रुप में प्रेक्षक तैनात कर उसे और मजबूत बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त संपूर्ण स्कीम की मानीटरिंग और पर्यवेक्षण हेतु एक पूर्णकालिक स्वतंत्र मानीटरिंग एजेन्सी को काम में लगाया जाएगा।

3.3 मास्टर खेल प्रशिक्षक/खेल प्रशिक्षकों की तैनाती: ब्लाक स्तर पर सर्जित की जाने वाली प्रस्तावित खेल-सुविधाओं के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ब्लाक स्तर खेल परिसर में एक मास्टर खेल प्रशिक्षक तथा दो खेल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित खेल कोचों के रुप में तैनात किया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अध्यापकों (पीईटी) की सेवाओं का उपयोग में लाया जाए। राज्यों/संघ राज्यों को सक्रिय रुप से प्रोत्सहित करने के लिए खेल कोचों/प्रशिक्षकों को अपने संसाधनों से मेल खाती समान अंशदान राशि इन्हें मानदेय के रुप में दे दी जाए। इसके अतिरिक्त, जिला/ब्लाक खेल परिषद/ ब्लाक पंचायतों को प्रोत्सहित किया जाए कि वह मास्टर खेल प्रशिक्षक तथा दो खेल प्रशिक्षकों को समान राशि का अंशदान मानदेय के रुप में दें ताकि मास्टर खेल प्रशिक्षक तथा दो खेल प्रशिक्षक काफी बड़ी तथा एक-मुश्त राशि मानदेय को रुप में प्राप्त कर सकें तथा आरजीकेए के अंतर्गत ब्लाक स्तर खेल परिसर में प्रतिभाशाली खिलाडियों को प्रशिक्षण देने संबंधी कार्य में सक्रिय रुप से रुचि ले सकें। पांचवर्ष के बाद, यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। कि वह इस घटक हेतु निधि जुटाए।

3.4 पूर्वोत्तर राज्यों; जम्मू और काश्मीर; वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों तथा अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों द्वारा निधि प्रवाह : यह प्रस्ताव है कि आवश्यकताओं पर आधारित विभिन्न सीएपीएओ, सेना आदि हेतु विभिन्न अशांत क्षेत्रों में अलग से खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु सीमित निधि अर्थात खेल प्रतियोगताओं के लिए अपेक्षित कुल निधि का 10% जारी किया जाए।

3.5 निष्पादन एजेन्सी: भीतरी खेल हाल का निर्माण संबंधी निष्पादन प्री-फेब्रिकेटिड संरचना के तहत केन्द्रीय निर्माण पीएसयू अर्थात एनबीसीसी; एचपीएच; एनपीसीसी; आईआरसीओएन; आरआईटीईएस आदि के माध्यम से किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट(डीएम) को विस्तृत दिशा-निर्देश, निधि जारी करते समय जारी किए जाएंगे।

3.6 खेल परिसर हेतु सौर-ऊर्जा का प्रावधान: यह प्रस्ताव है कि नई और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध किया जाए कि वह खेल-परिसरों में सौर-ऊर्जा सुविधाओं को सहायिकी दरों पर, जैसा कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों में लागू है उपलब्ध कराया जाए।

3.7 प्रस्तावित ब्लाक स्तर खेल परिसर हेतु स्थान का चयन: प्रस्तावित ब्लाक स्तर खेल परिसर का स्थान देश के ग्रामीण क्षेत्रों मं खेल-प्रतिभा की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने संबंधी हित लाभ के लिए इसके निर्णायक उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि सम्बद्ध ग्राम पंचायत अथवा ब्लाक पंचायत द्वारा स्वामित्व 6-7 एकड़ प्लाट की भूमि में ब्लाक स्तर खेल परिसर का पता लगाया जाए। यदि ग्राम पंचायत की भूमि उपलब्ध न हो रही हो, तो किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल/कालेज, जहां भूमि की अपेक्षित मात्रा हो, खेल परिसर स्थापित किया जाए वशर्ते कि सभी खिलाडियों द्वारा सर्जित की गई सुविधाओं की स्कूल प्राधिकारी द्वारा खेल-मैदानों के उपयोग की अनुमति दी गई हो न कि सम्बद्ध/कालेज के विद्यार्थियों द्वारा। ब्लाक स्तर खेल परिसर ब्लाक मुख्यालय से 2 कि0मी0 परास से परे स्थापित होना चाहिए बशर्ते कि ब्लाक मुख्यालय को भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के अंतर्गत शहरी निकाय के रुप में घोषित किया गया हो।

3.8 तंत्ररचना अनुमोदन: सम्पूर्ण देश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु से ब्लाक और जिला स्तर पर वार्षिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से जमीनी स्तर तक ब्लाक स्तर खेल परिसर साथ ही अपेक्षित खेल उपस्कर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 634 जिलों के विभिन्न ब्लाकों में खेल अवसरंचना सुविधाओं के सर्जन हेतु (284 करोड़ रुपये अनावर्ती तथा 816 करोड़ रुपये आवर्ती) 1000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आरजीकेए के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्चो में से 845 करोड़ रुपयों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाकी तीन वर्षों तथा 155 करोड़ रुपये को 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खर्च किए जाने का अनुमान हे। तंत्ररचना का अनुमोदन तथा जारी की जाने वाली निधि निम्न रुप से है:-

3.8.1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मनरेगा में से ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदानों के निर्माण के लिए वार्षिक कार्रवाई प्लान तथा ब्लाक स्तर पर खेल परिसर निर्माण हेतु मनरेगा/एनएलसीपीआर/एसीए के

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों बीआरजीएफ/आरजीकेए हेतु, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा वित्त प्रदान करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की कार्यपालक समिति (ईसी) के विचारार्थ भेजा जाएगा। यदि ब्लाक स्तर खेल परिसर को आरजीकेए द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है तो राज्य के हिस्से की निधि की उपलब्धता संबंधी पुष्टि को भी प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाए।

3.8.2. एक बार राज्य द्वारा भेजा गया प्रस्ताव कार्यपालक समिति (ईसी) द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग को राज्य सरकार को संबंधित स्कीम से अपेक्षित निधि जारी करने संबंधी सूचना देने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.8.3. भारत सरकार के पृथक मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों से निधि प्राप्त होने पर, राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस निधि का उपयोग उस उद्धेश्य के लिए करेगा जिसके लिए यह जारी की गई है।

3.8.4. राज्यों/संघ राज्यो से प्राप्त प्रतियोगिता अनुदान संबंधी प्रस्तावों को कार्यपालक समिति (ईसी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इस उद्धेश्य के लिए राज्यों/संघ राज्यों को निधि आरजीकेए निधि से जारी की जाएगी।

3.9 रख-रखाव:

3.9.1. इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदानो तथा ब्लाक पंचायत स्तर पर खेल परिसरों का निर्माण करने के बाद, इन्हें सम्बद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपा जाएगा। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेवारी होगी कि इस योजना के अंतर्गत सृजित की गई खेल सुविधाओं का रख-रखाव करें।

3.9.2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इस रख-रखाव की लागत वहन करेंगे। विकल्पत: खेल सुविधाओं के प्रयोग- कर्ता से नाममात्र का शुल्क उगाहा जाए तथा इस प्रकार प्राप्त की गई निधि को खेल-सुविधाओं के रख-रखाव की ओर उपयोग में लाया जाए।

3.9.3. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय प्रयोग-कर्ता प्रभार की उगाही से संबंधित उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करे ताकि पूरे देश में एकरुपता बनाई जा सके।

3.10 तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण सेवाएँ:

3.10.1. मिशन निदेशालय आरजीकेए को नियुक्त किए गए अमले के वेतन/मजदूरी, कार्यालय खर्चे, स्कीम की प्रगति को मॉनीटरिंग करने के लिए नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं, स्कीम के प्रचार आदि

के उपयोग के लिए तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण सेवाएँ (टीएससीबीएस) के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल विकास निधि में संग्रह कोष (कोर्पस फंड) रखा जाएगा।

3.10.2. इस निधि का उपयोग विशेषकर मिशन अभियान क्रियाकलापों समेत मिशन के तकनीकी तथा अन्य सहायता देने के उद्वेश्य से किया जाएगा।

3.10.3. खर्चे की मदों में मिशन कार्मिकों के पारिश्रमिक से संबंधित भुगतान बाहरी स्रोत कार्य जैसे आइटी मैनेजमेन्ट सूचना प्रणाली का विकास तथा प्रबन्धन को सार्थक बनाना, कोचों/प्राशिक्षकों के लिए वेबसाइट विकास हेतु उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन, वेब समर्थित रिपोर्टिगं प्रणाली, स्थान का किराया तथा कार्यालय उपस्कर की खरीद, मिशन अभियान के लिए एजेन्सी सेवाओं का किराया देना, दृश्य-प्रचार प्रस्तुति तथा मिडिया कैम्पन अभियान, ठेकदारी अथवा अनुसंधान अध्ययन सहायता, निरीक्षण अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण खेलों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा एक्सचेंज कार्यक्रमों को बढावा देना, मॉनीटरिगं तथा मूल्यांकन, तथा अन्य कोई क्रियाकलाप जो पायका (आरजीकेए) की सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया हो, शामिल है। यह अनुमोदित प्रकिया, सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों पर आधारित होगी। सामान्य परिषद अपना स्वयं का अधिनियम लाएगी जिसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

3.10.4. केन्द्रीय सरकार तथा स्वायत्त निकायों से प्राप्त अंशदान, निजी एवं सार्वजानिक कार्पोरेट हस्तियों, ट्रस्टों, समितियों तथा इंडीविजुअलों से प्राप्त अनुदान निधि की परिसंपत्तियों में शामिल होगा बशर्ते कि सामान्य परिषद द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था से प्राप्त किया गये अंशदान को स्वीकृति अथवा उसके संबंध में, सामान्य परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

3.10.5. यह निधि भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक की किसी अनुषंगी शाखा में रखी जाएगी। इस निधि के लेखे में की गई निकासी को सामान्य परिषद द्वारा निधार्रित तरीकों से नियंत्रित किया जाएगा।

3.10.6. सामान्य परिषद तुरन्त न अपेक्षित निधि की राशि को निवेश करने की समग्र नीति में निर्णय लेने में अंतिम प्राधिकारी होगी।

3.10.7. सामान्य परिषद ऐसे स्टाफ को जिसे वह ऐसी निबंधन और शर्तों के अनुरुप निधि के संचालन में उचित समझे, नियुक्त करेगी। इस संबंध में किए गए प्रशासनिक खर्चो का निधि पर वैध दावा होगा।

3.10.8. निधि की सम्पूर्ण राशि तथा सम्पत्ति एवं आय और व्यय का नियमित लेखा-जोखा रखा जाएगा तथा इसे भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षित किया जाएगा।

3.10.9. सामान्य परिषद के सदस्य-सचिव द्वारा निधि संबंधी-कार्य की एक वार्षिक-रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसे सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(**डा. जी. एस. जी. अय्यंगार**)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुबंध- 1

आरजीकेए के तहत भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों में कवर किए गए जिले/ब्लाकों की संख्या का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मनरेगा		आरजीकेए		एनएलसीपीआर-सी		एसीए		बीआरजीएफ	
		जिलों की संख्या	ब्लाकों की संख्या	जिलों की संख्या	ब्लाकों की संख्या	जिलों की संख्या	ब्लाकों की संख्या	जिलों की संख्या	ब्लाकों की संख्या	जिलों की संख्या	ब्लाकों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	22	1098	6	307	-	-	8	374	8	417
2	अरूणाचल प्रदेश	16	97	-	-	16	97	-	-	-	-
3	असम	27	239	-	-	27	239	-	-	-	-
4	बिहार	38	534	-	-	-	-	11	145	27	389
5	छत्तीसगढ़	18	146	3	36	-	-	34	77	5	33
6	गोवा	2	11	2	11	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	26	223	20	175	-	-	-	-	6	48
8	हरियाणा	21	119	19	107	-	-	-	-	2	12
9	हिमाचल प्रदेश	12	78	10	65	-	-	-	-	2	13
10	जम्मू-कश्मीर	22	148	17	109	-	-	-	-	5	39
11	झारखंड	24	260	-	-	-	-	17	201	7	59
12	कर्नाटक	30	176	24	144	-	-			6	32
13	केरल	14	152	12	135	-	-			2	17
14	मध्य प्रदेश	50	313	20	117	-	-	10	65	20	131
15	महाराष्ट्र	32	341	20	215	-	-	4	20	10	106
16	मणिपुर	9	42	-	-	9	42	-	-	-	-
17	मेघालय	7	39	-	-	7	39	-	-	-	-
18	मिजोरम	8	26	-	-	8	26	-	-	-	-
19	नागालैंड	11	52	-	-	11	52	-	-	-	-
20	ओडिशा	30	314	8	79	-	-	18	207	4	28

21	पंजाब	22	145	21	135	-	-	-	-	1	10
22	राजस्थान	33	249	20	162	-	-	-	-	13	87
23	सिक्किम	4	26			4	26	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	31	387	25	297					6	90
25	त्रिपुरा	8	45	-	-	8	45	-	-	-	-
26	उत्तर प्रदेश	75	822	40	402	-	-	3	29	32	391
27	उत्तराखंड	13	95	10	73	-	-			3	22
28	पश्चिम बंगाल	19	341	8	126	-	-	3	71	8	144
	संघ राज्य क्षेत्र										
29	अंडमान एवं निकोबार दीपसमूह	3	9	3	9	-	-	-	-	-	-
30	चंडीगढ़	1	1	1	1	-	-	-	-		
31	दादर और नागर हवेली	1	1	1	1						
32	दमन एवं दीयु	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
33	लक्षद्वीप	1	10	1	10	-	-	-	-	-	-
34	पुडुचेरी	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-
	कुल	**634**	**6545**	**295**	**2722**	**90**	**566**	**88**	**1189**	**167***	**2068**

- बी आर जी एफ के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की कुल संख्या- 272
- वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों हेतु एसीए के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की संख्या (जिसमें वर्ष 2013-14 में 6 नए जिलों की संख्या शामिल है) - 88
- एनएलसीपीआर-सी के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में कवर किए जाने वाले बीआरजीएफ जिलों की संख्या- 29
- बीआरजीएफ के अंतर्गत कवर लिए जाने वाले जिलों की संख्या - 161

अनुबंध- 1 (जारी)

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कवर किए जाने वाले प्रस्तावित जिले/ब्लाकों की संख्या

स्कीम	शेयर	जिले	ब्लाक
मनरेगा	50% बाहरी खेल मैदान हेतु	634	6545
एनएलसीपीआर-सेन्ट्रल	50% भीतरी खेल हाल के निर्माण हेतु	90	566
उग्रवाद प्रभावित जिलो हेतु एसीए		88	1189
बीआरजीएफ		167	2068
पायका		295	2722
कुल		634	6545
कुल जोड	**100%**	**634**	**6545**

मनरेगा (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

- मनरेगा पूरे देश के 634 जिलों (6545 ब्लाकों) में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- मनरेगा से प्राप्त कुल निधि:6545 ब्लाक, 80 लाख रुपये प्रति ब्लाक: 5236 करोड़ रुपये
- मनरेगा से संबंधित दिशा-निर्देशों को अनुपालन किया जाएगा।
- पायका का मनरेगा के साथ **(खेल मैदानों का निर्माण)** अभिसरण करने संबंधी आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं

एनएलसीपीआर-सेन्ट्रल **(पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय)**

- पूर्वोत्तर राज्यों के 90 जिलों (566 ब्लाकों में) एनएलसीपीआर-सेन्ट्रल का कार्यान्वयन हो रहा है।
- एनएलसीपीआर से कुल अपेक्षित निधि की मांग: 566 ब्लाक, 80 लाख रुपये प्रत्येक ब्लाक की दर से 452.80 करोड़ रुपयें।
- एनएलसीपीआर के नीति संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
- आरजीकेए के ब्लाक स्तर खेल परिसर को एनएलसीपीआर के अंतर्गत एक अनुमोदित क्रियाकलाप के रुप में शामिल किया जाए।

उग्रवाद प्रभावित जिलों हेतु एसीए (योजना आयोग)

- आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के नौ राज्यों के 88 जिलों (1189 ब्लाकों) में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में एसीए की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।
- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों हेतु एसीए से अपेक्षित कुल निधि:
  1189 ब्लाकों में 80 लाख रुपये प्रति ब्लाक: 951.20 करोड़ रुपये
- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए एसीए के अंतर्गत निधि संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा
- आरजीकेए के ब्लाक स्तर खेल परिसर को वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों हेतु एसीए के अंतर्गत एक अनुमोदित क्रियाकलाप के रुप में शामिल किया जाए।

बीआरजीएफ (पंचायती राज मंत्रालय)

- 272 जिलों में बीआरजीएफ कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें से 76 जिलों को भी आईएपी के अंतर्गत तथा 29 जिलें एनएलसीपीआर के अंतर्गत कवर किये गए है।
- बीआरजीएफ के अंतर्गत 19 राज्यों के केवल 167 जिलों में (2068 ब्लाकों में) सहायता की आवश्यकता है।
- बीआरजीएफ से अपेक्षित कुल निधि:
  2068 ब्लाक, 80 लाख प्रति ब्लाक के दर से: 1654.40 करोड़ रुपये।
- बीआरजीएफ के निधि संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
- आरजीकेए के ब्लाक स्तर खेल परिसर को बीआरजीएफ के तहत् **'ग्रामीण खेल-मैदान** के शीर्षक के अंतर्गत एक अनुमोदित क्रियाकलाप के रुप में पहले ही शामिल किया गया है।

आरजीकेए (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

- मनरेगा, एनएलसीपीआर,आईएपी और बीआरजीएफ से प्राप्त अंशदान को ध्यान मे रखते हुए आरजीकेए से अंशदान बाकी 295 जिलों (2722 ब्लाकों) से होगा।
  2722 ब्लाक, 80 लाख प्रति ब्लाक की दर से: 2177.60 करोड़ रुपये
- आरजीकेए से अपेक्षित निधि (सामान्य राज्यों से 25% हिस्सा तथा विशेष श्रेणी राज्यों से 10% हिस्सें को समायोजित करने के बाद)

राज्यों की श्रेणी	**ब्लाकों की संख्या**	**केन्द्र का हिस्सा (आरजीकेए)**	**राज्य का हिस्सा**	**कुल**
सामान्य राज्य	2452	2452X 60 लाख रुपये = 1471.20 करोड़ रुपये	2452X 20 लाख रुपये =490.40 करोड़ रुपये	1961.60 करोड़ रुपये
विशेष श्रेणी राज्य (हिमाचल प्रदेश जम्मू और काश्मीर उत्तराखंड)	247	247X 72 लाख रुपये =177.84 करोड़ रुपये	247X 8 लाख रुपये =19.76 करोड़ रुपये	197.60 करोड़ रुपये
विधानसभा रहित संघ राज्य	23	23X 80 लाख रुपये =18.40 करोड़ रुपये	-	18.40 करोड़ रुपये
कुल	2722	1667.44 करोड़ रुपये	510.16 करोड़ रुपये	2177.60 करोड़ रुपये

- इसके अतिरिक्त्, खेल उपस्करों की खरीद हेतु सभी 6545 ब्लाकों के लिए आरजीकेए द्वारा 15 लाख रुपये (100% केन्द्रीय सहायता के रुप में) मुहैया कराया जाएगा।

  अपेक्षित निधि: 6545 लाख रुपये, 15 लाख रुपये की दर से: 981.75 करोड़ रुपये।

- इसके अतिरिक्त, फर्नीचर की खरीद हेतु सभी 6545 ब्लाकों को (100% केन्द्रीय सहायता के रुप में) आरजीकेए द्वारा 1.50 लाख रुपये मुहैया कराए जाएंगे।

  अपेक्षित निधि: 6545, 1.50 लाख रुपये की दर से: 98.18 करोड़ रुपये।

  आरजीकेए के अंतर्गत अपेक्षित निधि (केन्द्र का हिस्सा): 1667.44 करोड़ रुपये+981.75 करोड़ रुपये+98.18 करोड़ रुपये = 2747.37 करोड़ रुपये।

  खेल प्रशिक्षक हेतु अपेक्षित निधि:

  प्रत्येक ब्लाक पंचायत हेतु एक मास्टर खेल प्रशिक्षक तथा दो खेल प्रशिक्षक:

  मासिक पारिश्रमिक:

- कोच के लिए: 3500/- रुपये।
- प्रशिक्षक के लिए: 2500/- रुपये।

  एक ब्लाक पंचायत के लिए: 3500/- रुपये+(2 X 2500/-) = 8500/-रुपये।

  एक वर्ष के लिए: 8500/- रुपये X 12= 1,02,000/- प्रति ब्लाक पंचायत।

  6545 ब्लाक पंचायतों हेतु 5 वर्ष के लिए: 1,02,000 X 6545 X 5 = 333.80 करोड़ रुपये।

  सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने वाले राज्यों को प्रोत्साहन: यह प्रस्ताव है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने वाले राज्य को 12 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों की अवधि हेतु वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी अनुदान प्रदान किया जाए। निष्पादन संबंधी कार्यप्रणाली एवं पैरामीटरों का माप तथा वर्ष के पुरस्कृत किए जाने वाले राज्यों की संख्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी।

अनुबंध- 2

निर्मित किए जाने वाले ब्लाक स्तर खेल परिसर में काम में लगाए जाने वाले कोचों/प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर अनुमानित वार्षिक व्यय का आंकलन।

1. प्रशिक्षित किए जाने वाले मास्टर खेल प्रशिक्षक/प्रशिक्षकों की कुल संख्या 6545 x 3 = 19635
2. एक प्रशिक्षण कोर्स की अवधि 30 दिन
3. किस अवधि के दौरान प्रशिक्षण पूरा किया जाना है
   5 वर्ष (3927 मास्टर खेल प्रशिक्षक/खेल प्रशिक्षकों प्रति वर्ष)
4. एक बैच के 100 मास्टर खेल प्रशिक्षक/खेल प्रशिक्षक के एक माह के प्रशिक्षण पर अनुमानित व्यय:

क्रम सं.	खर्चे की मद	एलएनयूपीई ग्वालियर में मास्टर प्रशिक्षक के प्रशिक्षण हेतु यथा-अनुमोदित वित्तीय प्रतिमान	राशि (रुपयों में)
1.	प्रतिभागियों की भोजन व्यवस्था तथा आवास हेतु खर्चे	600/-रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन	100 x 30 x 600= 18,00,000/-
2.	विशेषज्ञों/खिलाड़ियों (20 विशेषज्ञ/ खिलाड़ी प्रति कोर्स हेतु भोजन व्यवस्था तथा आवास पर खर्चे)	840/-रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन	20 x 30 x 840= 5,04,000/-
3.	मास्टर खेल प्रशिक्षक/खेल प्रशिक्षकों तथा विशेषज्ञों/ खिलाड़ियों के संबंध में यदि वह उनके मूल विभाग द्वारा वहन न किया जाता हो तो यात्रा खर्चे	बजटीय उद्देश्य हेतु वास्तविक हकदारी के तहत औसतन आधार पर 3500/- रुपये प्रति व्यक्ति	120 x 3500= 4,20,000/-
4.	विशेषज्ञों/ खिलाड़ियों की फीस (600 क्लास प्रति कोर्स)	350/-रुपये प्रति क्लास	600 x 350= 2,10,000/-
5.	पैन, लेखन पेड तथा प्रशिक्षण सामग्री समेत किट-बैग की व्यवस्था	400/-रुपये प्रति व्यक्ति	120 x 400= 48,000/-
6.	मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रमाणपत्रों की प्रिटिंग	50/-रुपये प्रति प्रमाणपत्र	100 x 50= 5,000/-
7.	स्टेशनरी मदों की खरीद	50,000/-रुपये प्रति कोर्स	50,000/-
8.	खेल उपस्करों की खरीद	50,000/-रुपये प्रति कोर्स	50,000/-
9.	सीडी/डीवीडी हेतु व्यवस्था	50/- प्रति सीडी/डीवीडी(2 सीडी/डीवीडी प्रतिप्रशिक्षक)	100 x 50 = 5,000/-
10.	आपातकाल के दौरान चिकित्सा सुविधाओं/खर्चे की व्यवस्था	20,000/-रुपये प्रति प्रशिक्षण कोर्स	20,000/-

11.	टेक सूट एवं केप	1200/-रुपये प्रति व्यक्ति	100 x 1200= 1,20,000/-
12.	वाहनों का किराया (01)	2,000/-रुपये प्रति दिन प्रशिक्षण कोर्स के दौरान	30 x 2000= 60,000/-
13.	संगठन एवं आरजीकेए अंतरंग प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा सांस्कृतिक संध्याओं एवं सभी कोर्सें के लिए पुरस्कारों का वितरण	20,000/-रुपये प्रति प्रशिक्षण कोर्स	20,000/-
14.	विविध खर्चे	10,000/-रुपये प्रति प्रशिक्षण कोर्स	10,000/-
कुल			**33,22,000/-**

5. 3927 मास्टर खेल प्रशिक्षक/खेल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर प्रति वर्ष अनुमानित खर्च - 12,95,58,000/- रुपये माना (12.96 करोड़ रुपयें)

   19635 मास्टर खेल प्रशिक्षक/खेल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर अनुमानित व्यय = 64.80 करोड़ रुपये

अनुबंध- 3

आरजीकेए के अंतर्गत प्रतियोगिताओं हेतु विद्यमान और प्रस्तावित फंडिंग पैटर्न संबंधी तुलनात्मक विवरणी

1. ग्रामीण प्रतियोगिताएं:

(क) प्रतियोगिता अनुदान

(करोड़ रुपये में)

प्रतियोगिताओं का स्तर	**विद्यमान**	**प्रस्तावित**	**वार्षिक वित्तीय पोषण**	**5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण**
ब्लाक	50,000/- रुपये प्रति विधा 10,000/- रुपये 5 विधाओं के लिए	भोजन व्यवस्था तथा आवास, यात्रा भत्ते आदि समेत प्रति ब्लाक 1 लाख रुपये का एक-मुश्त अनुदान	65.45	327.25
जिला	2 लाख रुपये प्रति विधा 20,000/- रुपये 10 विधाओं के लिए	भोजन व्यवस्था तथा आवास, यात्रा भत्ते आदि समेत प्रति जिला 4 लाख रुपये का एक-मुश्त अनुदान	25.36	126.80
राज्य	1. राज्य के लिए 8 लाख रुपये 80,000/- रुपये प्रति विधा 10 विधाओं हेतु 2. संघ राज्य हेतु 4 लाख रुपये 40,000/- रुपये प्रति विधा, 10 विधाओं के लिए	राज्य/संघ राज्य में प्रति जिला 2 लाख रुपये की दर से एक मुश्त अनुदान	12.68	63.40
राष्ट्रीय	3.5 लाख रुपये प्रति विधा 20 विधाओं के लिए	प्रति विधा 10 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान	2.00	10.00
कुल			**105.49**	**527.45**

(ख) पुरस्कार राशि - व्यक्तिगत खिलाड़ियों तथा टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को जो पहले तीन स्थान प्राप्त करता है, वितरित की जाने वाली पुरस्कार राशि।

प्रतियोगिताओं का स्तर	**टीम और व्यक्तिगत खेलों के लिए पुरस्कार राशि का वितरण (रुपयों में)**			
	विद्यमान	**प्रस्तावित**	**वार्षिक वित्तीय पोषण (करोड़ रुपये में)**	**5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण(करोड़ रुपये में)**
ब्लाक स्तर	260/-	500/-	43.85	219.25
जिला स्तर	325/-	750/-	12.08	60.40
राज्य स्तर	725/-	1,000/-	0.71	3.55
संघ राज्य स्तर	360/-			
राष्ट्रीय स्तर	-	5,000/-	0.21	1.05
कुल			**56.85**	**284.25**

ग्रामीण प्रतियोगिताओं के लिए कुल जोड़ **(करोड़ रुपये में)**

घटक	वार्षिक वित्तीय पोषण	5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण
प्रतियोगिता अनुदान	105.49	527.45
पुरस्कार राशि	56.85	284.25
कुल	**162.34**	**811.70**

अनुबंध- 3 (जारी)

2. महिला प्रतियोगिताएं

(क) प्रतियोगिता अनुदान

(करोड़ रुपये में)

प्रतियोगिताओं का स्तर	**विद्यमान**	**प्रस्तावित**	**वार्षिक वित्तीय पोषण**	**5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण**
ब्लाक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जिला	1.20 लाख रुपये 10,000/- रुपये प्रति विधा 12 विधाओं के लिए	भोजन व्यवस्था तथा आवास, यात्रा भत्ते आदि समेत प्रति ब्लाक 2.40 लाख रुपये का एक-मुश्त अनुदान	15.22	76.10
राज्य	(i) राज्य के लिए 6 लाख रुपये 50,000/- रुपये प्रति विधा 12 विधाओं हेतु (ii) संघ राज्य हेतु 3 लाख रुपये 25,000/- रुपये प्रति विधा, 12 विधाओं के लिए	राज्य/संघ राज्य में प्रति जिला एक लाख रुपये की दर से एक मुश्त अनुदान	6.34	31.70
राष्ट्रीय	3.5 लाख रुपये प्रति विधा 12 विधाओं के लिए	प्रति विधा 10 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान	1.20	6.00
कुल			**22.76**	**113.80**

(ख) पुरस्कार राशि - व्यक्तिगत खिलाड़ियों तथा टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को जो पहले तीन स्थान प्राप्त करता है वितरित की जाने वाली पुरस्कार राशि।

प्रतियोगिताओं का स्तर	**टीम और व्यक्तिगत खेलों के लिए पुरस्कार राशि का वितरण (रुपयों में)**			
	विद्यमान	**प्रस्तावित**	**वार्षिक वित्तीय पोषण (करोड़ रुपये में)**	**5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण(करोड़ रुपये में)**
जिला स्तर	-	750/-	5.94	29.70
राज्य/संघ राज्य स्तर	-	1,000/-	0.35	1.75
राष्ट्रीय स्तर	-	5,000/-	0.06	0.30
कुल			**6.35**	**31.75**

महिला प्रतियोगिताओं के लिए कुल जोड़ **(करोड़ रुपये में)**

अवयव	**वार्षिक वित्तीय पोषण**	**5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण**
प्रतियोगिता अनुदान	22.76	113.80
पुरस्कार राशि	6.35	31.75
कुल	**29.11**	**145.55**

अनुबंध- 3 (जारी)

3. पूर्वोत्तर खेल

(क) प्रतियोगिता अनुदान

(करोड़ रुपये में)

प्रतियोगिताओं का स्तर	**विद्यमान**	**प्रस्तावित**	**वार्षिक वित्तीय पोषण (लाख रुपयों में)**	**5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण(लाख रुपयों में)**
ब्लाक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जिला	50,000/- रुपये प्रति जिला	भोजन व्यवस्था तथा आवास, यात्रा व्यय आदि समेत एक लाख रुपये प्रति जिला एक-मुश्त अनुदान	0.90	4.50
राज्य	1. राज्य के लिए 6 लाख रुपये 75,000/- रुपये प्रति विधा 8 विधाओं लिए	राज्य में प्रति जिला एक लाख रुपये की दर से एक मुश्त अनुदान	0.90	4.50
राष्ट्रीय	मेजबान राज्य को (उदघाटन समारोह तथा समापन समारोह, आवास आदि पर खर्च करने हेतु 14.90 लाख रुपये की निश्चित अनुदान) छात्रावास, यात्रा पुरस्करों आदि पर खर्चे हेतु 41.00 लाख रुपये	प्रति विधा 10 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान	0.80	4.00
कुल			**2.60**	**13.00**

(ख) पुरस्कार राशि - व्यक्तिगत खिलाड़ियों तथा टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को जो पहले तीन स्थान प्राप्त करता है वितरित की जाने वाली पुरस्कार राशि।

प्रतियोगिताओं का स्तर	**टीम और व्यक्तिगत खेलों के लिए पुरस्कार राशि का वितरण (रुपयों में)**			
	विद्यमान	**प्रस्तावित**	**वार्षिक वित्तीय पोषण (करोड़ रुपये में)**	**5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण(करोड़ रुपये में)**
जिला स्तर	-	750/-	1.18	5.90
राज्य स्तर	-	1,000/-	0.14	0.70
राष्ट्रीय स्तर	-	5,000/-	0.09	0.45
कुल			**1.41**	**7.05**

पूर्वोत्तर खेलों के लिए कुल जोड़: **(करोड़ रुपये में)**

अवयव	**वार्षिक वित्तीय पोषण**	**5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण**
प्रतियोगिता अनुदान	2.60	13.00
पुरस्कार राशि	1.41	7.05
कुल	**4.01**	**20.05**

अनुबंध- 3 (जारी)

विशेष क्षेत्रों हेतु प्रतियोगिताएं:

राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल

(क) प्रतियोगिता अनुदान

(ख) (करोड़ रुपये में)

प्रतियोगिताओं का स्तर	**खेल विधाओं की संख्या जिसमें प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती है**	**फंडिगं पैटर्न**	**वार्षिक वित्तीय पोषण**	**5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण**
ब्लाक (1189)	5	भोजन व्यवस्था तथा आवास, यात्रा खर्चे आदि समेत प्रति जिला 1 लाख रुपये का अनुदान।	11.89	59.45
जिला(82)	10	भोजन व्यवस्था तथा आवास, यात्रा खर्चे आदि समेत प्रति जिला 4 लाख रुपये का अनुदान।	3.28	16.40
राज्य(9)	10	राज्य/संघ राज्य में प्रति जिला 2 लाख रुपये की दर से एक मुश्त अनुदान।	1.64	8.20
राष्ट्रीय	10	प्रति विधा 10 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान।	1.00	5.00
कुल			17.81	89.05

(ख) पुरस्कार राशि - व्यक्तिगत खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि वितरित की जानी तथा टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को जो पहले तीन स्थान प्राप्त करता है

प्रतियोगिताओं का स्तर	**टीम और व्यक्तिगत खेलों के लिए पुरस्कार राशि का वितरण (रुपयों में)**			
	विद्यमान	**प्रस्तावित**	**वार्षिक वित्तीय पोषण (करोड़ रुपये में)**	**5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण(करोड़ रुपये में)**
ब्लाक स्तर	-	500/-	7.97	39.85
जिला स्तर	-	750/-	1.56	7.80

राज्य स्तर	-	1,000/-	0.23	1.15
राष्ट्रीय स्तर	-	5,000/-	0.13	0.65
कुल			**9.89**	**49.45**

विशेष क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं हेतु कुल जोड़: (करोड़ रुपये में)

घटक	वार्षिक वित्तीय पोषण	5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण
प्रतियोगिता अनुदान	17.81	89.05
पुरस्कार राशि	9.89	49.45
कुल	**27.70**	**138.50**

सारांश

प्रतियोगिताओं का स्तर	वार्षिक वित्तीय पोषण	5 वर्षों के लिए वित्तीय पोषण
ग्रामीण प्रतियोगिताएं	162.34	811.70
महिला प्रतियोगिताएं	29.11	145.55
उत्तरपूर्वी खेल	4.01	20.05
विशेष क्षेत्रों के खेल	27.70	138.50
कुल	223.16	1115.80

जी. एस. जी. अय्यंगार
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

(DEPARTMENT OF SPORTS)

New Delhi, the 29th April 2014

RAJIV GANDHI KHEL ABHIYAN (RGKA)

No. 8-3/MYAS/PYKKA/2012—

1	**CHAPTER**	**Introduction**

1.1 Sports and physical education play a crucial role in the all-round development of youth, who constitute not only about 70 per cent of our population. The National Sports Policy 2001 lays special emphasis on "**Broad-basing of Sports**" through grassroots level sport activity and "**Promoting Excellence in Sports**" at the national and international levels. It is, therefore, essential to give adequate thrust to sport development so that it could permeate through other aspects of social life and make the youth health conscious, positive and productive.

1.2 The major constraint in taking sport activity to the grassroots level is the limited availability of basic sports infrastructure/ facilities in the country. Further, the existing base too is highly skewed, as it is largely concentrated in urban areas, which account for not more than 25 per cent of the population. The remaining 75 per cent of the population, which largely lives in rural areas, is deprived of even rudimentary sporting facilities. The rural-urban gap and also that within the urban areas, especially the poorer areas, is getting even wider with large-scale augmentation of sports infrastructure in a few selected cities in connection with hosting of major international sporting events. Similarly, private sector participation in promoting sport activity is also extremely limited. As per the estimates of the University Grants Commission, not more than 30 million students are provided sports and games facilities in schools, colleges and universities and about 20 million youth are provided such opportunities through youth clubs, sports clubs, etc. This only shows that sports are yet to become part of the formal education system, which still remains largely academic-centric. 700 million youth (including children below the age of 13 years) have little or marginal access to sporting facilities. Of these, about 550 million represent rural youth (including children below the age of 13 years), who are relatively even more deprived than their urban counterparts. Universalisation of sports cannot be achieved without adequate thrust on development of sports in rural areas.

1.3 The **Rajiv Gandhi Khel Abhiyan** (RGKA) aims at achieving these objectives by providing basic sports infrastructure and equipment at the Panchayat level and encouraging sports and games in rural areas through annual competitions at the block and district levels. RGKA will help States in promoting sport at the grassroots level, which they have not been able to achieve on their own so far due to severe resource constraints. It will also deepen and widen the seedbed of sporting talent, leading to better performances by our sportspersons in national and international events.

2	CHAPTER	Rajiv Gandhi Khel Abhiyan (RGKA)

2.1 RGKA: "**Rajiv Gandhi Khel Abhiyan (RGKA)"** envisages to be an important foundation of the grand strategy for development of sports facilities; identification and nurturing of sporting talent in the country as against the creation of sports facilities in Village Panchayats and Block Panchayats as per the existing scheme. The RGKA will be the building block and foundation for the long term framework to create a sports ecosystem in the Country and also to make sports as a way of life and an industry in the country and to achieve the goal of becoming one of the first 10 sporting nations in the world by 2020. **The RGKA scheme will be implemented with effect from 01st April 2014.** RGKA replaces PYKKA from henceforth.

2.2 Mission Statement: To encourage and promote sports and games among rural youth, by providing them with access to basic sports infrastructure in the form of play fields at Panchayat level and providing access to advanced sports infrastructure facilities including sports equipment of requisite quality at the Block level, and opportunity to participate in sports competitions at the Block, District, State, Regional and national levels, particularly in areas affected by insurgency (North Eastern States) and left wing extremism (9 states having 88 no. Left Wing Extremism affected districts).

2.3 Mission Objectives

(i) To provide universal access to sports in rural areas and promote sports culture among both boys and girls;

(ii) To harness available and potential sporting talent among rural youth, through a well-designed competition structure from the block level;

(iii) To put in place an effective mechanism to identify and nurture sporting talent in rural areas;

(iv) To make focused efforts to give adequate training and exposure, under the existing schemes of the Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS) and Sports Authority of India (SAI), to the promising sportspersons emerging from this process;

(v) To promote indigenous, traditional and modern games; and

(vi) To create seamless integration between the competition structure right from the Panchayat level to the national level in order to facilitate exceptional growth in the number of high performing sportspersons.

2.4 Mission Strategy:

(i) **An integrated Approach** for creation of sports facilities at Gram Panchayat level and block level, along with sports equipment of requisite quality at Block level by convergence of resources under different schemes of various departments / ministries of Government of India; selection, training and deployment of sports coaches / trainers in the block level sports complex; entrusting the operation & maintenance of the block level sports complex to the local block panchayat with levy of a nominal amount as user charges; organising sports competitions in selected sports disciplines at block; district; state; regional and national level; introduction of sports competitions specially in 88 no. LWE affected districts spread over 9 states affected by Left Wing Extremism, in addition to already existing Rural competitions, Women competitions and NE games; providing performance linked incentive for the best performing states and deployment of an elaborate and independent monitoring agency for proper implementation of the RGKA.

(ii) **Modular approach** based on perspective planning with adequate operational flexibility in project designing, taking into account the existing facilities, if any, local talent, popular games, including indigenous games, local constraints, etc.

(iii) **Implementation through the States and UTs**, with one-time assistance for creation of capital assets at Block level and recurring grant as central grant-in-aid.

(iv) **Convergence approach** is proposed amongst various departments / ministries of Government of India, which includes convergence in terms of resource mobilization under various schemes under Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS); Ministry of Panchayati Raj (MoPR);Planning Commission (PC); Ministry of Rural Development (MoRD); Ministry of Development of North Eastern Region (MoDONER); Ministry of New & Renewable Energy (MoNRE) and Ministry of

Statistics & Programme Implementation (MoSPI). Similar convergence is also promoted and encouraged at the state and local body level. Field level convergence by way of full ownership of the programme is promoted with clear cut role delineation between all stakeholders, especially the local Panchayat at Gram level or Block level, local Youth club (registered with NYKS), local sports club, local school / college, SHGs etc.,

(v) **Building up on existing infrastructure**: RGKA makes use of and builds up on the existing sports infrastructure in schools / colleges, wherever available, and further strengthens and links it with community sports. In addition, where some infrastructure has been created under PYKKA in the past, the RGKA will try and make use of these facilities by upgrading them.

(vi) **Creation of vertical and horizontal linkages** in terms of competition structure, management structure, talent spotting and training structure, infrastructure and award structure through convergence with different sports schemes operated by Ministry of Youth Affairs and Sports, Sports Authority of India, State Governments; and sports promotion organizations such as State Sports Associations/ Councils, National Sports Federations, Indian Olympic Association and other public and private sports promotion bodies.

(vii) **Monitoring & Supervision**: Keeping in view the pivotal role assigned to the revised scheme in creation of sports facilities at Gram Panchayat level and Block level and identification of sporting talent through various types of sports competitions (Rural; Women; NE games and Special Area sports) at block, through district, state, regional and national levels, it is necessary to monitor and supervise the implementation and progress of the scheme closely. Hence, it is proposed to engage an independent monitoring agency for close supervision and monitoring.

2.5 Mission Campaign: A full-fledged campaign shall be conducted through the RGKA Mission Directorate in MYAS, NYKS, SAI and State Government mechanisms to disseminate information and generate enthusiasm about RGKA among target groups that will include sports clubs, youth clubs, self-help groups, NGOs engaged in sports activities, etc. Appropriate funding arrangement shall be made to carryout the campaign through media, publications, seminars, workshops, etc.

2.6 Mission Coverage and Duration: The programme is intended to cover all villages (about 8-10 villages /Gram Panchayat) in all Gram Panchayats and block Panchayats/equivalent units in the country. There are about 634 rural districts, 6,545 block Panchayats and around 2,50,000 Gram Panchayats in the country at present.

2.7 Mission Outlay: The Mission outlay for the Eleventh Plan approved by the Planning Commission was Rs. 1,500 crore. However, actual allocation for the Eleventh Five Year Plan Period was only Rs. 742.20 crore. Though the requirement of funds for the 12th FYP was projected at **Rs.3772 crore**, without any inflation indexing, the actual allocation is only Rs. 1200 crores. The total fund requirement to cover all 6545 blocks in 634 rural districts was estimated to be around **Rs. 4513 crores** under RGKA **and about Rs. 8300 crores by convergence** from other schemes namely MGNREGA; NLCPR – Central; BRGF and ACA for LWE affected districts**.**

2.8 Mission Structure: National level mission structure comprises General Council, Executive Committee and Mission Directorate. There is a RGKA Cell at State/UT level in the Sports Department or Sports Authority/council to implement/monitor the scheme. There is a State level Executive Committee (SLEC) besides District and bock level Executive Committees for administering RGKA scheme. The Mission Structure of RGKA at the National/State and District level areas follows:

2.8.1 General Council:

1	**Minister, YAS**	**Chairperson**
2	Secretary, Sports, Ministry of Youth Affairs & Sports	Member
3	Secretaries of Ministry of Rural Development, Panchayati Raj, Development of North Eastern Region, Statistics & Programme Implementation; New & Renewable Energy	Members
4	Adviser, Planning Commission	Member
5	Chief Secretaries of five selected States / UTs	Member
6	Director General, SAI	Member
7	Director General, Nehru Yuva Kendra Sanghatan (NYKS)	Member
8	Joint Secretary (Youth Affairs)	Member

9	Financial Adviser (YAS)	Member
10	Three Representatives from National Sports Federations	Member
11	Joint Secretary (Sports Development) and Mission Director, RGKA	Member Secretary

Roles & Responsibilities of the General Council (GC): The General Council chaired by the Minister, Youth Affairs & Sports will be the highest policymaking body for the Mission. Apart from giving overall guidance, including policy guidelines and direction to the Mission, the GC will review the performance of the Mission. The GC shall also be empowered to determine and approve the strength of mission personnel and fix the terms and conditions of their contracts; the management of the RGKA TSCBS through NSDF; allow persons to join the mission directorate on deputation basis; determine and approve the terms and conditions for the approval of experts/ consultants at national and state level; approve overheads for the mission directorate; reallocate resources across states and components for the purpose of optimal utilization of funds. There are a few elements of Competition Grant like travelling expenses (bus / rail fare) which require periodical revision for obvious reasons. The GC may be fully empowered to decide all policy matters and administrative matters including financial limits of various components of Competition Grant, subject to overall budgetary limits. The GC will meet at least once in six months.

2.8.2 Executive Committee:

1	**Secretary (Sports), MoYAS**	**Chairperson**
2	Joint Secretary (Sports Development) & Mission Director	Co-Chairperson
3	Joint Secretary, Youth Affairs	Member
4	Financial Adviser (YAS)	Member
5	Secretaries of Sports & Youth Affairs and Panchayati Raj from six selected states/ UTs	Members
6	Secretary, Rural Development of 6 selected states / UTs	Members
7	Secretary, Planning of North Eastern States	Members
8	Secretary, Home / Planning of 9 no. states, receiving ACA for LWE affected districts	Members
9	Secretary, Planning of 6 no. Selected BRGF states	Members
10	Representatives of Ministry of Rural Development, Panchayati Raj; Planning Commission; Development of North Eastern Region (DONER); New & Renewable Energy (MNRE); Statistics & Program Implementation, not below the rank of Joint Secretary to Government of India	Members
11	Director General, SAI	Member
12	Director General, NYKS	Member
13	Executive Director (Academics), SAI NS, NIS Patiala	Member
14	Director, PRC, LNIPE, Gwalior(M.P.)	Member
15	Secretaries of Sports/Youth Services in the States/UTs whose proposals are considered in the EC Meeting	Members
16	Domain Expert Consultants (Project Officers)	Member
17	Deputy Secretary / Director (Sports) & Deputy Mission Director, RGKA	Member Secretary

Roles & Responsibilities of Executive Committee: The Executive Committee (EC) will be empowered to approve the RGKA Mission Plan and detailed Annual Action Plans of State Governments/ UTs; appoint chief technical consultant and domain expert consultants at the national level; modify the list of admissible items of expenditure under different heads; approve studies; appoint independent evaluators of the Mission; review linkages with other sports schemes, and exercise such other powers as may be assigned to it by the GC.

2.8.3. State level Executive Committee:

1	**Chief Secretary**	**Chairperson**
2	Secretaries of Youth Affairs & Sports, Panchayati Raj, Rural Development, Science & Technology and Planning	Members
3	DM & Collectors of 5 no. Selected districts	Members
4	Chairman / Director General/ Managing Director of State Sports Authority	Member
5	Regional Coordinator, SAI	Member
6	Zonal Director, NYKS	Member
7	State Technical Consultant, RGKA	Member
8	Three Representatives from State Sports Federations	Member
9	Director (Youth Affairs & Sports) and State Mission Director	Member Secretary

Roles & Responsibilities of State level Executive Committee: The State level Executive Committee (SLEC) will be empowered to approve District RGKA Mission Plan and Annual Action Plans and finalise the State RGKA Mission Plan and Annual Action Plans for creation of sports infrastructure and drawing up annual calendar of competitions; reallocate resources within the state within the overall mission guidelines; appoint State Technical Consultant; give overall guidance and directions; nominate additional members/ invitees; and monitor, review and evaluate implementation of the mission.

2.8.4 District Level Executive Committee:

1	DM / Collector / Deputy Commissioner	**Chairperson**
2	Chief Executive Officer of District Panchayat (CEO, DP) / Project Director of District Rural Development Agency (PD, DRDA)	Deputy Chairperson
3	Five Chairpersons of selected Panchayats Samitis and Five Sarpanches of selected Panchayats	Members
4	District Panchayat Officer and District Education Officer	Member
5	District Youth Coordinator, Nehru Yuva Kendra Sanghatan	Member
6	District Sports Officer	Member Secretary

Special Invitees:

1. President, District Panchayat
2. Members of Parliament

Roles & Responsibilities of District level Executive Committee: The District level Executive Committee (DLEC) will be empowered to recommend phased coverage of Panchayats and blocks within the overall mission guidelines; approve Block Mission Plans and Annual Action Plans to be prepared in the prescribed format for creation of sports infrastructure and organizing competitions; finalise the district level mission plan to be prepared in the prescribed format; reallocate resources within the district within the overall mission guidelines; give overall guidance and directions; and monitor, review and evaluate implementation of the mission at the Panchayat, block and district level and exercise such other powers as may be assigned to it by the SLEC.

The Chairpersons of the Committees mentioned above are authorised to constitute the committees by including / excluding / co-opting any member and calling any special invitee(s) depending on the requirement at the respective level.

2.9 FUNDING PATTERN:

(i) Sports being a state subject, the states shall have to bear a part of expenditure on sports so that there shall be a sense of participation and ownership by the states in this scheme. Hence, it is recommended that the existing pattern of share of expenditure between Centre and State in the ratio of 75:25 in respect of normal states and 90:10 in respect of special category states be continued in respect of Non-Recurring Grant.

(ii) **Creation of Village level play fields in each Gram Panchayat under MGNREGA**: RGKA scheme envisages convergence approach to mobilize resources from other organizations/schemes. In this regard, the Ministry of Rural Development vide Gazette Notification dated 14th January, 2013 included construction of playfields at village level as one of the activities under MGNREGA. Further, detailed guidelines have been issued by Ministry of Rural Development regarding use of MGNREGA for construction of playfield under RGKA Scheme. It is, therefore, proposed that the development of playfield at village level may be taken up under MGNREGA scheme of Ministry of Rural Development since the major part of MGNREGA funds are meant for labour only. The Panchayats have to commit free land and also take up maintenance / upgradation of the playfields created under PYKKA in the earlier years and also the playfields being created under MGNREGA and also the Block level sports infrastructure facilities to be created under RGKA. Panchayats that already have basic sports infrastructure, including school sports infrastructure which can also be used for community sports beyond school hours and during holidays, should ensure that such infrastructure is made available for community use or to be managed by the sports club / youth club. Schools may be given first priority subject to the availability of land with them. Efforts should be made to create at least one playfield under each gram panchayat to start with under MGNREGA.

(iii) It is proposed to freeze the funds of One Time Capital Grant (Non-recurring grant) and Annual Acquisition Grant and Annual Operational Grant (Recurring grants) released so far to Village Panchayats and Block Panchayats. The States/UTs will be asked to submit Utilization Certificate (UC) in respect of funds released so far and settle the accounts. There shall be no further sanction/release of these grants to States/UTs for Village Panchayats and Block Panchayats as per the RGKA Scheme in vogue. The Kridashree at Gram Panchayat level is proposed to be done away with.

(iv) Under the RGKA scheme, grant-in-aid with three components is provided to States/UTs for development of sports infrastructure facilities at Block level. Further, funds in the form of grants-in-aid are provided for conducting annual sports competitions at block, district, state and national level as per the details given below:-

2.9.1 Infrastructure Component:

(i) One-time Capital Grant for creation of Sports facilities at Block level: To improve the sporting talent, it is also necessary to enhance the availability of sports infrastructure facilities of reasonably good quality at Block Level. Accordingly, it is proposed to create adequate sports infrastructure facilities in all blocks over a period of next 5 years. It is proposed to have the following sporting facilities at the Block level Sports Complex:

(a) **Outdoor sports disciplines**:

Athletics
Archery
Badminton (2 courts)
Basket ball
Foot ball
Handball
Hockey
Kabbadi
Kho-Kho
Tennis and
Volley ball

A. Out of these 11 no. Outdoor sports disciplines, 5 no. Sports disciplines namely Athletics; Badminton; Football / Hockey; Kabbadi / Kho-Kho and Volley ball / Basketball will be compulsory.
B. Out of the balance 6 no. Outdoor sports disciplines namely Archery; Football / Hockey; Handball; Kabbadi / Kho-Kho; Volleyball / Basketball and Tennis, the states will have an option to select any three or all disciplines.
C. The states will have an option to substitute any of the balance 3 no. Outdoor sports disciplines out of the 11 no. Outdoor sports disciplines with any sport / game of local

importance and demand. Shooting is also an optional sports discipline. **The states have an option to substitute any one of the balance 3 no. Outdoor sports disciplines out of the 11 no. Outdoor sports disciplines with shooting discipline also.**

D. The total cost estimate for Outdoor sports disciplines is Rs.80 lakh approximately. Selection of sports disciplines under (B) and (C) above will be subject to the overall cost of Rs. 80 lakhs and keeping the manpower and material component of 60 and 40 respectively, as required under MGNREGA.

(b) **Indoor sports Disciplines**:

Boxing
Wrestling
Table Tennis
Weightlifting
Provision for a Multi-gym

The cost estimates for different indoor sports disciplines is Rs.80 Lakh, thus totalling Rs.1.60 Crore, including the cost of the outdoor sports playfield. **A portion of the indoor sports hall admeasuring 30 sq. m. will also be utilised as Youth Resource Centre, in addition to the seating arrangements for the 3 no. Sports trainers.**

(c) Funding pattern proposed: Out of Rs.1.60 Crore estimated for each Block Panchayat mentioned above, 50% will come from MGNREGA, particularly for creation of outdoor sports field and the balance 50% for construction of the indoor sports hall from the following schemes in order of preference.

- Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR - Central) - (Ministry of Development of North Eastern Region)
- ACA for Left Wing Extremism (LWE) affected districts - (Planning Commission)
- Backward Region Grant Fund (BRGF) – (Ministry of Panchayati Raj)
- RGKA - (Ministry of Youth Affairs & Sports)

A. Funding under MGNREGA (MoRD): In the proposed sports complex at block level, there will be two categories of sports disciplines namely outdoor and indoor as already explained above. As per MGNREGA, the NREGA funds should be utilized on wage and material in the ratio of 60:40 only. Since the major part of the fund needs to be utilised on unskilled labour component only including development and levelling of about 6 - 7 acre land, it is proposed that MGNREGA funds will be utilized for development of outdoor playfield only, maintaining the unskilled labour component versus the skilled/semiskilled and material component as 60:40 respectively. The guidelines of MGNREGA such as taking up the work departmentally; non-involvement of contractors; non-usage of machinery; inclusion of the work in the Gram/Block panchayat labour budget etc. will be followed strictly. The estimated cost of outdoor disciplines is Rs. 80 lakh each. This cost was further revalidated through the estimates prepared for creation of sports infrastructure facilities for 11 no. outdoor sports disciplines based on the Rural Development Department SSR of Government of Tripura. However, as the estimated cost may vary from state to state, the same needs to be revised as per the minimum wages for unskilled/semi-skilled and skilled labour declared for each state separately under their RD department's SSR, if present separately. Thus, 50% of the cost of each sports complex is proposed to be met from MGNREGA fund.

B. Funding under Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR - Central) scheme under Ministry of Development of North Eastern Region (MoDONER): NLCPR-Central part of Ministry of Development of North Eastern Region caters to the creation of public infrastructure in different North Eastern States including Sikkim. It is proposed that the cost of indoor sports hall in North Eastern States should be met from NLCPR-Central. As per NLCPR – Central guidelines, separate proposals will be submitted centrally by Department of Sports, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India for release of requisite funds under NLCPR – Central part in favour of the respective States on priority so that requisite funds could be allotted by the Ministry of Development of North Eastern Region for this scheme, starting from 2014-15 onwards.

C. Funding under ACA for LWE affected districts areas (Planning Commission): 88 Districts comprising about 1189 blocks spread over 9 States are covered under ACA scheme for LWE affected districts of Planning Commission. The development of sports complex under this scheme can be covered under "**Public Infrastructure and Services**" head of ACA for LWE affected areas, duly following the guidelines and norms of the said scheme.

D. Funding under BRGF (MoPR): Under BRGF of Ministry of Panchayati Raj, each district receives a fixed minimum amount of about Rs. 30 crore per annum. The funds shall be utilized for any purpose coming within the items that are devolved to them as listed in the Eleventh and Twelfth Schedule to the Constitution. Further, the list of priority items earmarked for SC and ST development includes "**rural playgrounds**". It is, therefore, proposed to utilize BRGF funds for this scheme. Wherever there is an overlap between ACA for LWE affected districts and BRGF in any district, the former would be given priority.

E. Funding under RGKA (MYAS): After availing financial assistance from NLCPR-Central, ACA for LWE affected districts and BRGF, the remaining blocks / districts/ will be covered by MYAS under RGKA scheme for construction of sports complex. It is proposed that the existing pattern of share of expenditure between Centre and State in the ratio of 75:25 in respect of normal states and 90:10 in respect of special category states (Seven NE states; Sikkim; J&K; HP and Uttarakhand) and UTs with legislature be continued. In case of UTs without legislature, the present practice of 100% central assistance will continue.

F. Funding under MPLADS: As PYKKA scheme is converged with MPLADS of Ministry of Statistics & Programme Implementation, in case of necessity, funds from MPLADS may be dovetailed within the MP constituency, subject to the willingness of the concerned MP. MLALADS funds may also be utilised similarly wherever the states have issued orders for convergence of MLALADS with PYKKA / RGKA, subject to the willingness of the concerned MLA.

(d) **Coverage of Districts / States under different schemes**: This grant is provided to the States/UTs for development of sports infrastructure at the rate of Rs. 80 lakhs per block, as per the details of coverage of different districts in various states / UTs under different schemes namely NLCPR-Central (MoDONER); ACA for LWE affected districts (Planning Commission) and BRGF (MoPR) provided in **Annexure 1**. Under RGKA, the sharing pattern between the Central Government and State Governments will be 75:25 for the normal states and 90:10 for Special Category States. Accordingly, the Central grant will be Rs. 60 lakhs per block Panchayat for normal states and Rs. 72 lakhs per block Panchayat for Special Category States. The balance amount of Rs. 20 lakhs per block Panchayat in respect of normal states and Rs. 8 lakhs per block Panchayat in respect of Special Category States is to be contributed by the States. The existing funding pattern of Central and State share under NREGA; NLCPR-Central; ACA for LWE affected areas and BRGF schemes of different ministries will be followed.

(e) **Financial Outlay**: The total estimated financial Outlay (Non-Recurring) will be as follows:-

(Rs. In Crores)

S.No.	Source	Total Fund requirement	Annual requirement
1.	MGNREGA	5236.00	1047.20
2.	NLCPR-Central	452.80	90.56
3.	ACA for LWE affected districts	951.20	190.24
4.	BRGF	1654.40	330.88
5.	RGKA	2747.85	549.57
	Total	**11042.25**	**2208.45**

(ii) Acquisition Grant for Sports equipment& Sports furniture: In addition to the cost of construction of the sports complex, it is proposed that MYAS will provide funds for purchase of sports equipment and furniture to all the blocks all over the country @ Rs. 15 lakh and Rs. 1.5 lakh respectively. This is proposed as 100% Central assistance.As regards providing sports equipment and furniture, it is proposed to commence the distribution of funds from 2015-16 when the sports complex sanctioned would have been completed and ready for use.

2.9.2 Operational Grant: This is also 100% central grant given annually to meet the operational expenses including payment of honorarium @ Rs. 3500/- per sports coach and Rs. 2500/- each for two sports trainers per block sports complex for a period of five years. **At least one of the 3 Sports trainers deployed at the Block level sports complex should be a women.** The states / UTs are free to match an equal amount of honorarium to the Sports coach / trainer and pay them out of their own resources. Besides, the District / Block sports council / Block panchayat is

encouraged to contribute an equal amount of honorarium to the Master Sports Trainer and two number of Sports Trainers, so that the Master sports coach and the two sports trainers will be receive a sizable and lump sum amount as honorarium and take active interest in their job of training the sports talent in the Block level sports complex under RGKA. Beyond five years, it is the responsibility of the State Governments to fund this component.

2.9.3 Cost of training of Master sports trainer / sports trainers: A total of 19635 Master sports trainer and sports trainer (6545 x 3) are required to be trained suitably. The estimated cost of training is Rs. 12.96 crore per annum and Rs. 64.80 crore for training of all the 19635 coaches and training over a period of 3 years. Details are enclosed as **Annexure 2**.

2.9.4 Annual Sports Competitions: Organizing competitions/tournaments is one of the major areas of RGKA scheme. Annual tournaments provides a platform for all, particularly rural youth, to excel in their sports talent. Moreover, competition builds sports skills and competitive spirit amongst youth. This will also improve health, self-confidence, leadership qualities, and social inclusiveness. Annual tournaments are conducted in an organized manner throughout the country. The guidelines including rules and regulations for conducting the competitions amended from time to time will be followed. From the District level competitions, the rural youths (both boys & girls) below the age of 16 years as on 31st December of the year of competition participate. Government of India provides 100% grants to the States / UTs and other designated agencies to conduct the following competitions / games at the block, district, state and national levels as per details given below:

1. Rural Competitions
2. North East Games
3. Women Competitions and
4. Special Areas (LWE affected areas +J&K)

(a) List of sports disciplines at National level

1. Archery	6. Cycling	11. Judo	16. Taekwondo
2. Athletics	7. Football	12. Kabaddi	17. Volleyball
3. Badminton	8. Gymnastics	13. Kho - Kho	18. Weight lifting
4. Basketball	9. Handball	14. Swimming	19. Wrestling
5. Boxing	10. Hockey	15. Table Tennis	20. Wushu
			21. Tennis

(b) Rural Competitions: The rural competitions are organized at block, district, state and national levels in an organized manner. It is a mass participation sports competition. All age groups may participate in the competitions up to block level. Rural competitions at block level are conducted in 05 sports disciplines, and at district and state level are conducted in 10 sports disciplines from the list of 21 sports disciplines given above for the national level competitions.

A. Competition Grant: The existing financial limits of competition Grant and Prize Money are considered to be too meagre and need upward revision. A statement showing the existing rates of various components of competitions grant and the revised ones is enclosed at **Annexure 3.**This is 100% grant given for organizing the tournaments annually.

B. Prize money: This is 100% central grant distributed to the winning players.

(c) North-East Games: To encourage and promote tribal and traditional sports, especially in the North-Eastern region, annual competitions in the name and style of '**North-East Games**' are organized at the District, State and National level. A 100 % central grant is given to the North-Eastern states for organizing these games.

(d) Women Competitions: This is 100% grant given for organizing the women sports competitions annually.

(e) Sports Competitions in Special Areas:

The existing provision for various types of competitions, namely, rural competition, women's competition and North East Games being conducted under RGKA are proposed to be continued. Besides, it is proposed to introduce sports competitions in Left Wing

Extremist (LWE) affected districts (at present 88 in number) spread over in 9 States which are covered by the scheme of "**ACA for LWE affected areas**" of Planning Commission and also J&K. The competitions are proposed to engage the youngsters and wean them away from unlawful activities. The pattern of the competitions will be as that of rural competitions being conducted under the scheme.

(f) Calendar of Competitions.

The competitions are conducted in progression and completed by the months shown against each competition:-

(a) Block level competitions by the end of August of each year
(b) District level competitions by the end of October of each year and
(c) State level competitions by the end of November of each year.

The above schedule of competitions is only illustrative, and the States/UTs may also prepare the schedule of competitions from the block to the state level keeping in view the climatic conditions, schools/college exams, etc. in their respective State/UT. But, all the lower level competitions are required to be completed by November of each year so that the State team is in a position to participate in the national level competitions being organized during December/January.

2.9.5Administrative Expenses, including Independent Monitoring &Mission Campaign:

6% of RGKA's share of the total estimated cost of the project (after including non-recurring and recurring elements) is proposed towards administrative expenditure inter-alia to arrange a full time external monitoring and supervision agency, particularly for the creation of the block sports infrastructure facilities in 634 districts covering 6,545 blocks over a period of next 5 years; selection, training and deployment of sports coaches / trainers at block level and the conduct of sports competitions at various levels regularly.

This 6% amount will be utilised for three specific purposes:

(a) 1% will be placed at the level of the State Governments to develop a monitoring structure for RGKA
(b) 2% will be placed at the disposal of the implementing agency at District level (DM & Collector) as supervision expenditure for the construction of proposed Block level sports infrastructure facilities and
(c) Balance 3% shall be at the disposal of the Directorate for the RGKA for Scheme related activities; external monitoring agency and to give wide publicity to the RGKA scheme so that participation from sports loving persons of the rural areas can further increase.

A. **Items of Expenditure**: The items of expenditure will include remuneration/contract payment to mission personnel, experts, consultants, outsourcing functions like the development and management of IT enabled Management Information Systems, the conduct of orientation programme for Coaches/Trainers, website development, web enabled reporting systems, hiring of space and the procurement of office equipment, the hiring of agency services for mission campaign, audio-visual productions and media campaigns, contracting or supporting research studies, study visits, training programmes, promote international cooperation and exchange programmes in the field of rural sports, monitoring and evaluation and any other activity approved by the General Council of RGKA. The approval process shall be as laid down in the guidelines approved by the General Council. The General Council will frame its own regulations which shall be duly notified by the Ministry of Youth Affairs and Sports.

B. The assets of the Funds will include grants from the Central Government and contributions received from statutory bodies, United Nations and its associated bodies, other international organizations, private and public corporate entities, trusts, societies and individuals, provided that the decision of the General Council with regard to acceptance or otherwise of the contribution from an individual or organization shall be final.

2.9.6 Cash incentive to best performing states: It is proposed to select three best performing states commencing from the year 2014-15 for a period of five years.

2.9.7 Fund flow to States / UTs: The fund flow in respect of RGKA from the Central Government to the Panchayat Level from 2008-09 to 2013-14 was through State Government where the fund flow is through State Finance Department, Sports Department/Rural Development Department, District Level administration and Panchayat level (Block/Village). This chain of flow of funds took considerable period of time and there are instances where the funds released to State

consolidated fund was not at all released or released after few years only, to the Department of sports / State Sports Council. Though the Minister / Secretary, Sports of different states have requested to streamline the procedure and simplify the release of d funds in the Annual Conference of Minister / Secretary Sports held on 24th and 25th May 2013 that the funds be released to the District Magistrate directly, particularly funds related to the Development of the Block level Sports complex; sports equipment; block level and district level sports competitions, while funds related to the State / National level sports competitions may continue to be placed with Secretary, Sports / Secretary, State Sports council directly. Even after receipt of such requests from different state governments / state sports councils, however the present system of fund flow through the State consolidated fund will continue. The fund flow will be monitored through Central Plan Scheme Monitoring System (CPSMS). It is also proposed to release the funds meant for construction of the Indoor sports hall (Rs. 80 lakhs each, with pre-fabricated materials to facilitate uniformity and quick construction in different blocks of 634 districts over a period of 3-4 years), both central and state share, in to an escrow account to be maintained with the implementing agency, say two or three Central construction PSUs like NBCC; Hindustan Prefab Ltd (HPL); NPCC; HSCL; EPI; IRCON; RITES etc., **who will be empanelled through a competitive bidding process.**This fund would be used to pay the supplier of the indoor halls (prefabricated) by the selected PSUs. The interest earnings every year would be provided as an incentive for performing states in the ratio of indoor halls set up in the State in that year.

The funds from the various sources, namely, MGNREGA; NLCPR-Central; ACA for LWE affected areas; BRGF; RGKA;MPLADS / MLALADS will be converged and pooled up at the level of District Magistrate (DM) who will issue appropriate sanction orders for implementation of the scheme in the various Blocks under him over a period of 5 years.

3	CHAPTER	ADMINISTRATIVE MATTERS

3. Administrative matters:

3.1 Vigilance: The existing provisions of Vigilance at Page 117-119 of Operational Guidelines of MGNREGA, 2013 at State level, District level and Block level will be adopted in RGKA also in relation to the development of Block level sports complex. Besides, the **District level Vigilance & Monitoring Committee**, constituted as per Order No. O – 13018/2002AI (RD) Vol-II (Part) dated 09.11.2004 of Ministry of Rural Development, in different states with **Member of Parliament** as Chairman; **Chairperson, Zilla Parishad** and **MLAs** as members and Government officials, will also be utilised for monitoring and supervision of the RGKA at district level. The said District level vigilance & Monitoring Committee will be expanded further with the inclusion of **eminent sports persons** of the district / state and also District Youth Coordinator **(DYC),** NYKS as members.

3.2 Quality Monitoring by External Monitors: The existing monitoring mechanism of RGKA will be further strengthened by engagement and deployment of more number of RGKA observers as also External Monitors. In addition, a full time independent monitoring agency will be engaged for monitoring and supervision of the whole scheme.

3.3 Deployment of Master sports trainer/Sports Trainers: It is necessary to ensure proper utilisation of the Sports facilities proposed to be created at block level by deployment of trained sports trainers @ one Master sports trainer and 2 sports Trainers at each block level sports complex. It is proposed to utilise the services of the Physical Education Teachers (PET) working in the Secondary/Senior Secondary Schools nearest to the proposed Block level sports complex. The states / UTs are actively encouraged to match and pay an equal amount of honorarium to the Sports coach / trainer out of their own resources. Besides, the District / Block sports council / Block panchayat is encouraged to contribute an equal amount of honorarium to the Master Sports Trainer and two number of Sports Trainers, so that the Master sports trainer and the two sports trainers will receive a sizable and lump sum amount as honorarium and take active interest in their job of training the sports talent in the Block level sports complex under RGKA. Beyond five years, it is the responsibility of the State Governments to fund this component.s

3.4 Flow of funds through Security Forces deployed in North Eastern States; J&K; LWE areas and other disturbed areas: Based on the requirement, it is proposed to release limited funds say 10% of the total funds required for sports competitions to the different CAPOs, Army etc., in different disturbed areas to organise sports competitions separately.

3.5 Executing Agency: The execution of the construction on the indoor sports hall shall be done through pre-fabricated structures through Central Construction PSUs namely NBCC; HPF; NPCC; HSCL; EPI; IRCON; RITES etc., empanelled through a competitive bidding process. Detailed operational guidelines will be issued to the District Magistrate (D.M.) while releasing the funds to him.

3.6 Provision of solar power to sports complex: It is proposed to approach Ministry of New & Renewable Energy to provide Solar power facility at the sports complex at a subsidized rate, as applicable to different States/UTs.

3.7 Selection of Site for the proposed Block level Sports Complex: The location of the proposed block level sports complex plays a major role in its ultimate utilisation for the benefit of identification and nurturing of sports talent in the rural areas of the country. Hence, it is proposed to locate the Block level sports complex in a 6 - 7 acre plot of land owned by the concerned Gaon Panchayat or Block Panchayat. In case of non-availability of Gaon Panchayat land, the sports complex may be located in any Government/Government aided school/college having requisite quantum of land, provided the school authorities allow the usage of the playground and the facilities created by all sports persons and not only by the students of concerned school/college. The Block level sports complex may be located beyond a radius of 2 Km from Block HQs provided the Block HQs is declared as an Urban Body under the 74th amendment to the Constitution of India.

3.8 Approval Mechanism: The RGKA scheme has been approved at an estimated cost of Rs. 1000 crores (Rs. 284 crore non-recurring and Rs. 816 crore recurring) for creation of sports infrastructure facilities (Block level sports complex, along with requisite sports equipment and sports trainers in different blocks of 634 districts in rural areas and encouraging sports and games at the grassroots level through annual competitions at the block and district levels with a

view to help states in promoting sports all over the country. Out of the estimated expenditure of Rs. 1000 crores under RGKA, Rs. 845 crore is expected to be incurred during the balance three years of the 12th FYP and Rs. 155 crores is expected in the 13th FYP. Details of Approval mechanism and release of funds are as follows:

3.8.1 The States/UTs shall prepare Annual Action Plan for construction of playfields at Village Panchayat level from out of MGNREGA and construction of sports complex at Block level to be financed by MGNREGA/NLCPR_Central/ACA (LWE)/BRGF/RGKA as the case may be and forward the same to Ministry of Youth Affairs & Sports for consideration by the Executive Committee (EC). In case the Block level sports complex is to be financed by RGKA, a confirmation regarding availability of funds towards State's share shall also be included in the proposal.

3.8.2 Once the proposal forwarded by the State is approved by the Executive Committee (EC), necessary action will be taken to intimate the respective Ministry/Departments to release the requisite funds from out of the relevant scheme to the State Government.

3.8.3 On receipt of funds from the various schemes under different Ministries/Departments of Govt. of India, it shall be the responsibility of the State Govt. to utilize the funds for the purpose for which the same has been released.

3.8.4 Proposals for competition grant received from States/UTs shall be approved by the Executive Committee (EC). Funds for this purpose will be released from out of RGKA funds to the States/UTs.

3.9 Maintenance:

3.9.1 After the construction of playfields at Village Panchayat level and sports complex at Block Panchayat level under this scheme, the same shall be handed over to the respective States/UTs. It shall be the responsibility of the States/UTs for maintenance of the sports facilities created under this scheme.

3.9.2 State/UTs may meet the cost of maintenance from out of their own resources. Alternatively, a nominal fee may be levied on the users of the sports facilities and the funds so generated may be utilized towards maintenance of the sports facilities.

3.9.3 Ministry of Youth Affairs & Sports will issue suitable guidelines regarding levy of user charges so as to maintain uniformity all over the country.

3.10. Technical Support and Capacity Building Services:

3.10.1 A corpus fund will be placed with National Sports Development Fund (NSDF) of Ministry of Youth Affairs & Sports for providing technical support and capacity building services (TSCBS) for the use of Mission Directorate – RGKA in respect of salary/wages of staff engaged, office expenses, engagement of consultants for monitoring of progress of the Scheme, publicity of the Scheme, etc.

3.10.2 This fund will be utilized exclusively for the purposes providing technical and other support to the Mission, including mission campaign activities.

3.10.3 The items of expenditure will include remuneration/contract payment to mission directorate personnel, experts, consultants; outsourcing functions like the development and management of IT enabled Management Information Systems, the conduct of orientation programme for Trainers website development, web enabled reporting systems, hiring of space and the procurement of office equipment, the hiring of agency services for mission campaign, audio-visual productions and media campaigns, contracting or supporting research studies, study visits, training programmes, promote international cooperation and exchange programmes in the field of rural sports, monitoring and evaluation and any other activity approved by the General Council of RGKA. The approval process shall be as laid down in the guidelines approved by the General Council. The General Council will frame its own regulations which shall be duly notified by the Ministry of Youth Affairs and Sports.

3.10.4 The assets of the Funds will include grants from the Central Government and contributions received from statutory bodies, United Nations and its associated bodies, other international organizations, private and public corporate entities, trusts, societies and individuals, provided that the decision of the General Council with regard to acceptance or otherwise of the contribution from an individual or organization shall be final.

3.10.5 The Fund shall be maintained in a separate bank account in the State Bank of India or any subsidiary of State Bank of India. Any withdrawal of funds from the accounts of the Fund shall be regulated in a manner to be determined by the General Council.

3.10.6 The General council shall be the final authority to decide on the overall policy of investment of monies of the Fund not required immediately.

3.10.7 The General Council may appoint such staff as it may consider necessary and on such terms and conditions as it may consider appropriate to operate the Fund. The administrative expenses in this regard shall be a legitimate charge on the Fund.

3.10.8 Regular accounts shall be kept of all monies and properties and of income and expenditure of the Fund and shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India.

3.10.9 An Annual Report of the working of the Fund shall be prepared by the Member Secretary of the General Council which shall be approved by the General Council.

G.S.G. AYYANGAR
Joint Secy.

ANNEXURE 1

Coverage of different Blocks / Districts under various schemes of Government of India under RGKA

S. No	Name of State/UT	MGNREGA		RGKA		NLCPR-C		ACA		BRGF	
		No. of District	No. of Block	No. of District	No. of Block	No. of District	No. of Block	No. of District	No. of Block	No. of District	No. of Block
1	Andhra Pradesh	22	1098	6	307	-	-	8	374	8	417
2	Arunachal Pradesh	16	97	-	-	16	97	-	-	-	-
3	Assam	27	239	-	-	27	239	-	-	-	-
4	Bihar	38	534	-	-	-	-	11	145	27	389
5	Chhattisgarh	18	146	3	36	-	-	14	77	5	33
6	Goa	2	11	2	11	-	-	-	-	-	-
7	Gujarat	26	223	20	175	-	-	-	-	6	48
8	Haryana	21	119	19	107	-	-	-	-	2	12
9	Himachal Pradesh	12	78	10	65	-	-	-	-	2	13
10	Jammu & Kashmir	22	148	17	109	-	-	-	-	5	39
11	Jharkhand	24	260	-	-	-	-	17	201	7	59
12	Karnataka	30	176	24	144	-	-	-	-	6	32
13	Kerala	14	152	12	135	-	-	-	-	2	17
14	Madhya Pradesh	50	313	20	117	-	-	10	65	20	131
15	Maharashtra	32	341	20	215	-	-	4	20	10	106
16	Manipur	9	42	-	-	9	42	-	-	-	-
17	Meghalaya	7	39	-	-	7	39	-	-	-	-
18	Mizoram	8	26	-	-	8	26	-	-	-	-
19	Nagaland	11	52	-	-	11	52	-	-	-	-
20	Orissa	30	314	8	79	-	-	18	207	4	28
21	Punjab	22	145	21	135	-	-	-	-	1	10
22	Rajasthan	33	249	20	162	-	-	-	-	13	87
23	Sikkim	4	26	-	-	4	26	-	-	-	-

24	Tamil Nadu	31	387	25	297		-			6	90
25	Tripura	8	45	-	-	8	45	-	-	-	-
26	Uttar Pradesh	75	822	40	402	-	-	3	29	32	391
27	Uttarakhand	13	95	10	73	-	-			3	22
28	West Bengal	19	341	8	126	-	-	3	71	8	144
UTs											
29	Andaman & Nicobar	3	9	3	9	-	-	-	-	-	-
30	Chandigarh	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
31	Dadar& Nagar Haveli	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
32	Daman & Diu	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
33	Lakshadweep	1	10	1	10	-	-	-	-	-	-
34	Puducherry	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-
	Total	**634**	**6545**	**295**	**2722**	**90**	**566**	**88**	**1189**	**167***	**2068**

Total number of districts covered under BRGF : 272

Number of BRGF districts covered under ACA for LWE affected districts IAP (including 6 no. districts newly included in 2013-14) 88

Number of BRGF districts in North Eastern States to be covered under NLCPR-C 29

Number of districts to be covered under BRGF : 161

ANNEXURE 1 (contd.)

No. of Districts /Blocks proposed to be covered under various schemes

Scheme	Share	Districts	Blocks
MGNREGA	50 % for outdoor sports fields	634	6545
NLCPR-Central	50 % for construction of indoor sports hall	90	566
ACA for LWE affected districts		88	1189
BRGF		161	2068
RGKA		295	2722
Total		**634**	**6545**
Grand Total	**100 %**	**634**	**6545**

MGNREGA (Ministry of Rural Development)

- MGNREGA is being implemented in 634 districts (6545 Blocks) all over the Country.
- Total funds required from MGNREGA:6545 Blocks @ Rs. 80 Lakh per Block: Rs. 5236 crore
- Policy guidelines on MGNREGA will be complied with.
- Orders already issued for convergence of MGNREGA with PYKKA (**construction of Playfield**)

NLCPR-Central (Ministry of Development of North Eastern Region)

- NLCPR-Central is being implemented in 90 Districts (566 Blocks) in North –Eastern States.
- Total funds required from NLCPR:

566 Blocks @ Rs. 80 Lakh per Block: Rs. 452.80 crore

- Policy guidelines on NLCPR will be complied with.
- Block level sports complex of RGKA may be included as one of the approved activities under NLCPR.

ACA for LWE affected districts (Planning Commission)

- Scheme for ACA for LWE affected districts is being implemented in 88 districts (1189 Blocks) in 09 states of Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh and West Bengal.
- Total funds required from ACA for LWE affected districts:1189 Blocks @ Rs. 80 Lakh per Block: Rs. 951.20 crore
- Policy guidelines on ACA for LWE affected districts will be complied with.
- Block level sports complex of RGKA is one of the approved activities under ACA for LWE affected districts.

BRGF (Ministry of Panchayati Raj)

- BRGF is being implemented in 272 districts, out of which 76 districts are also covered under IAP and 29 districts under NLCPR.
- Assistance under BRGF is required in 167 districts only (2068 Blocks) in 19 States.
- Total funds required from BRGF:2068 Blocks @ Rs. 80 Lakh per Block: RS. 1654.40 crore
- Policy guidelines on BRGF will be complied with.
- Block level sports complex of RGKA is already included as one of the approved activities under BRGF under the heading "**rural playgrounds**".

• After taking into account the contribution from MGNREGA, NLCPR, IAP and BRGF, contribution from RGKA would be in the remaining 295 districts (2722 Blocks).
2722 Blocks @ Rs. 80 Lakh per Block: Rs. 2177.60 crore
• Funds required from RGKA (after adjusting 25 % share from normal States and 10% from Special category States):

Category of States	No. Of Blocks	Centre's share (RGKA)	State's share	Total
Normal states	2452	2452 X Rs. 60 lakh =Rs.1471.20 crore	2452 X Rs. 20 lakh =Rs.490.40 crore	Rs.1961.60 crore
Special category states (HP; J&K; Uttarakhand)	247	247 X Rs. 72 lakh =Rs.177.84 crore	247 X Rs. 8 lakh =Rs.19.76 crore	Rs.197.60 crore
UTs without Legislature	23	23X Rs. 80 lakh =Rs. 18.40 crore	-	Rs. 18.40 crore
Total	2722	Rs. 1667.44 crore	Rs. 510.16 crore	Rs.2177.60 crore

• In addition, Rs. 15 lakh will be provided by RGKA to all the 6545 Blocks for purchase of sports equipment (100 % Central assistance).
Funds required: 6545 @Rs. 15 lakh: Rs. 981.75 crore.

• Further, Rs. 1.50 lakh will be provided by RGKA to all the 6545 Blocks for purchase of furniture (100% Central assistance).

Funds required: 6545 @ Rs. 1.50 lakh: Rs. 98.18 Crore

Funds required under RGKA (Centre's share): Rs. 1667.44 Crore + Rs. 981.75 Crore + Rs. 98.18 Crore = Rs. 2747.37 Crore.

One Master Sports trainer and Two Sports Trainers for Each Block Panchayat.
Monthly remuneration:
- For Coach : Rs.3500/-
- For Trainer: Rs. 2500/-

For one Block Panchayat: Rs. 3500/- +(2 X 2500/-)=Rs.8500/-
For one year: Rs. 8500/- X 12 = Rs.1,02,000/- per Block Panchayat
For 6545 Block Panchayats for 5 years: 1,02,000 X 6545 X 5 = Rs. 333.80 Crore.
Incentive to Best Performing States: It is proposed to grant financial incentive to the Best Performing States @ Rs. 12 crore per annum for a period of 5 years. The methodology and parameters to measure the performance and the No. of states to be awarded in a year will be formulated by MYAS.

ANNEXURE 2

Estimated Annual Expenditure on training of Master Sports Trainers / Sports Trainers to be engaged at block level sports complex to be constructed

1. Total number of Master Sports Trainers / Sports Trainers to be trained - 6545x3=19635
2. Duration of one training course - 30 days
3. Duration during which the training is to be completed - 5years (3927 Master Sports Trainers / Sports Trainers per year)

4. Estimated expenditure on one month training of a batch of 100 Master Sports Trainers / Sports Trainers:

S. No.	Item of expenditure	Financial norms as approved for the training of Master Trainers at LNIPE Gwalior	Amount (in **Rs.**)
1.	Boarding & lodging expenses for the participants	**Rs.** 600/- per head per day	100x30x600= 18,00,000/-
2.	Boarding & lodging expenses for the experts/resource persons (20 experts/resource persons per course)	**Rs.** 840/- per head per day	20x30x840= 5,04,000/-
3.	Travelling expenses in respect of Master Sports Trainers / Sports Trainers and experts/resource persons, if not borne by their parent departments	**Rs.** 3500/- per head on average basis for budgetary purpose subject to actual as per their entitlement	120x3500= 4,20,000/-
4.	Fee to Experts/Resource persons (600 class per course)	**Rs.** 350/- per class	600x350= 2,10,000/-
5.	Providing of kit bags including pen, writing pads and training material	**Rs.** 400/- per head	120x400= 48,000/-
6.	Printing of certificates for Master Trainers	**Rs.**50/- per certificate	100x50= 5,000/-

ANNEXURE 2 (Contd.)

7.	Procurement of stationary items	**Rs.** 50,000/-per course	50,000/-
8.	Procurement of Sports Equipments	**Rs.** 50,000/-per course	50,000/-
9.	Provision for CD/DVDs	**Rs.** 50/- per CD/DVD(2 CD/DVD per trainee)	100x50=5,000/-
10.	Provision for medical facilities/expenses during emergency	**Rs.** 20,000/- per training course	20,000/-
11.	Track Suits and Caps	**Rs.** 1200/- per head	100x1200= 1,20,000/-
12.	Hiring of vehicle (01)	**Rs.** 2,000/- per day during training courses	30x2000= 60,000/-
13.	Organization & conduct of RGKA Intramural Competitions and cultural evening and distribution of prizes for all courses.	**Rs.** 20,000/- per training course	20,000/-
14.	Miscellaneous Expenses	**Rs.** 10,000/- per training course	10,000/-
Total			**33,22,000/-**

5. Estimated expenditure on training of 3927 Master Sports Trainers / Sports Trainers every year - **Rs.** 12,95,58,000/-

Say (Rs. 12.96 crore)

Estimated expenditure on training of 19635 Master Sports Trainers / Sports Trainers - **Rs.** 64.80 crore

ANNEXURE 3

Comparative statement of existing and proposed funding pattern for competitions under RGKA

(Rs. in Crore)

Level of Competitions	Existing	Proposed	Annual Financial Implication	Financial implication for 5 years
Block	**Rs.** 50,000/- @ **Rs.** 10,000/- per discipline for 5 disciplines.	A lump sum grant of **Rs.** 1 lakh per block including boarding and lodging, travel expenses etc.	65.45	327.25
District	**Rs.** 2 lakh @ **Rs.** 20,000/- per discipline for 10 disciplines.	A lump sum grant of **Rs.** 4 lakh per district including boarding and lodging, travel expenses etc.	25.36	126.80
State	(i) **Rs.** 8 lakh for state@ **Rs.** 80,000/- per discipline for 10 disciplines; (ii) **Rs.** 4 lakh for UT @ **Rs.** 40,000/- per discipline, for 10 disciplines.	A lump sum grant @ **Rs.**`2 lakh per district in the State/UT	12.68	63.40
National	**Rs.** 3.5 lakh per discipline for 20 disciplines	A lump sum grant of **Rs.** 10 lakh per discipline.	2.00	10.00
Total			**105.49**	**527.45**

(a) Prize money to be distributed to the individual players and each member of the teams who secured first three positions.

Level of competition	Distribution of Prize Money (in Rs.) in team and individual games			
	Existing	Proposed	Annual Financial Implication (Rs. in Crore)	Financial implication for 5 years (Rs. in Crore)
Block level	260/-	500/-	43.85	219.25
District level	325/-	750/-	12.08	60.40
State level	725/-	1,000/-	0.71	3.55
UT level	360/-			
National level	-	5,000/-	0.21	1.05
Total			**56.85**	**284.25**

Grand Total for Rural Competitions

(Rs. in Crore)

Component	Annual Financial Implication	Financial implication for 5 years
Competitions Grant	105.49	527.45
Prize Money	b56.85	284.25
Total	**162.34**	**811.70**

ANNEXURE: 3 (Contd.)

(Rs. in Crore)

Level of Competitions	**Existing**	**Proposed**	**Annual Financial Implication**	**Financial implication for 5 years**
Block	NIL	NIL	NIL	NIL
District	**Rs.**1.20 lakh @ **Rs.**10,000/- per discipline for 12 disciplines.	A lump sum grant of **Rs.** 2.40 lakh per district including boarding and lodging, travel expenses etc.	15.22	76.10
State	(i) **Rs.** 6 lakh for state@ **Rs.**50,000/- per discipline for 12 disciplines; (ii) **Rs.** 3 lakh for UT @ **Rs.** 25,000/- per discipline, for 12 disciplines.	A lump sum grant @ **Rs.** One lakh per district in the State/UT	6.34	31.70
National	**Rs.**3.5 lakh per discipline for 12 disciplines.	A lump sum grant of **Rs.** 10 lakh per discipline.	1.20	6.00
Total			**22.76**	**113.80**

Prize Money– Prize money to be distributed to the individual players and each member of the teams securing first three positions.

Level of competition	**Distribution of Prize Money (in Rs.) in team and individual games**			
	Existing	**Proposed**	**Annual Financial Implication (Rs. in Crore)**	**Financial implication for 5 years(Rs. in Crore)**
District level	-	750/-	5.94	29.70
State / UT level	-	1,000/-	0.35	1.75
National level	-	5,000/-	0.06	0.30
Total			**6.35**	**31.75**

Grand Total for Women Competitions

(Rs. in Crore)

Component	**Annual Financial Implication**	**Financial implication for 5 years**
Competitions Grant	22.76	113.80
Prize Money	6.35	31.75
Total	**29.11**	**145.55**

ANNEXURE: 3 (Contd.)

Level of Competitions	Existing	Proposed	Annual Financial Implication (Rs. in Lakh)	Financial implication for 5 years (Rs. in Crore)
Block	NIL	NIL		
District	**Rs.**50,000/- per district.	A lump sum grant of **Rs.** One lakh per district including boarding and lodging, travel expenses etc.	0.90	4.50
State	**Rs.**6 lakh for state@ **Rs.**75,000/- per discipline for 8 disciplines	A lump sum grant @ **Rs.** One lakh per district in the State.	0.90	4.50
National	Fixed Grant of **Rs.**14.90 lakh to the host state (to meet expenses on opening and closing ceremonies, accommodation, etc.) Rs. 41.00 lakh for expenses on boarding, travelling, prizes etc.	A lump sum grant of **Rs.** 10 lakh per discipline.	0.80	4.00
Total			**2.60**	**13.00**

– Prize money to be distributed to the individual players and each member of the teams secured first three positions.

Level of competition	Distribution of Prize Money (in Rs.) in team and individual games			
	Existing	Proposed	Annual Financial Implication (Rs. in Crore)	Financial implication for 5 years (Rs. in Crore)
District level	-	750/-	1.18	5.90
State level	-	1,000/-	0.14	0.70
National level	-	5,000/-	0.09	0.45
Total			**1.41**	**7.05**

Grand Total for North East Games

(Rs. in Crore)

Component	Annual Financial Implication	Financial implication for 5 years
Competitions Grant	2.60	13.00
Prize Money	1.41	7.05
Total	**4.01**	**20.05**

ANNEXURE: 3 (Contd.)

States: Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh and West Bengal.

(a) Competitions Grant

(Rs. in Crore)

Level of Competitions	Number of Sports Disciplines in which competitions could be conducted.	Proposed Funding Pattern	Annual Financial Implication	Financial implication for remaining 5 years
Block (1189)	5	A lump sum grant of ` 1 lakh per block including boarding and lodging, travel expenses etc.	11.89	59.45
District (82)	10	A lump sum grant of ` 4 lakh per district including boarding and lodging, travel expenses etc.	3.28	16.40
State(9)	10	A lump sum grant @ `2 lakh per district in the State/UT	1.64	8.20
National	10	A lump sum grant of ` 10 lakh per discipline.	1.00	5.00
Total			**17.81**	**89.05**

(b) – Prize money to be distributed to the individual players and each member of the teams securing first three positions.

Level of competition	Distribution of Prize Money (in Rs.) in team and individual games			
	Existing	Proposed	Annual Financial Implication (Rs. in Crore)	Financial implication for 5 years (Rs. in Crore)
Block level	-	500/-	7.97	39.85
District level	-	750/-	1.56	7.80
State level	-	1,000/-	0.23	1.15
National level	-	5,000/-	0.13	0.65
Total			**9.89**	**49.45**

Grand Total for Competitions in special areas:

(Rs. in Crore)

Component	Annual Financial Implication	Financial implication for 5 years
Competitions Grant	17.81	89.05
Prize Money	9.89	49.45
Total	**27.70**	**138.50**

Summary

(Rs. in Crore)

Type of Competitions	**Annual Financial Implication**	**Financial implication for 5 years**
Rural Competitions	162.34	811.70
Women Competitions	29.11	145.55
North East Games	4.01	20.05
Special Area Games	27.70	138.50
Total	**223.16**	**1115.80**

G.S.G. AYYANGAR
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I–SEC.1]—90 Copies